[2020] 9 एस. सी. आर. 530

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस.

वी.

उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

(2005 की सिविल अपील सं. 7508)

22 अप्रैल, 2020

[अरुण मिश्रा, इंदिरा बनर्जी, वाइन सरन,

एम. आर. शाह और अनिरुद्ध बोस, जे. जे.]

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 - एस. 16-राज्य को ठीक करने के लिए यू. पी. राज्य प्राधिकरण को सलाह दी गई

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अलावा और उससे अधिक भुगतान किया गया मूल्य (एसएपी)-तीन न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संदर्भित मामला, जिसमें दो संविधान पीठ के फैसलों के बीच संघर्ष का उल्लेख किया गया है। टीका रामजी और अन्य, आदि। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य [1956] एस. सी. आर. 393 और यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघ बनाम। पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 430-आयोजितः तथ्यगत मैट्रिक्स और प्रासंगिक प्रावधान जो टीका रामजी में विचार के लिए थे और यू. पी. कॉप में। केन यूनियन फेडरेशन का मामला पूरी तरह से अलग था-केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की अवधारणा।

1953 के अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा तय किए जाने वाले एस. ए. पी. की तुलना में, च. में कभी भी विचार के लिए नहीं आया। टीका राम-जबकि, यू. पी. कूप में। केन यूनियन फेडरेशन का यह मानना सही था कि कोई नहीं है

राज्य सरकार द्वारा पारिश्रमिक/सलाहित मूल्य तय करने में विसंगति या असंगतता। और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य"। और अगर कीमत राज्य सरकार द्वारा तय की जाती है। यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से अधिक है। , कोई विसंगति या प्रतिकूलता नहीं होगी क्योंकि दोनों आदेशों का संचालन संभव है।

एक साथ और उन दोनों का पालन करने के लिए-यू. पी. कॉप में संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। केन यूनियन फेडरेशन सही कानून है-टीका रामजी और यू. पी. कूप में दो फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है। गन्ना संघ संघों का मामला-मामले को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता नहीं है-यू. पी. गन्ना (आपूर्ति और खरीद का विनियमन) आदेश, 1954-गन्ना

(नियंत्रण) आदेश, 1955-खंड 3-आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955। 3 (2) (ग)-गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966-खंड 3--

- भारत का संविधान-Art.254; सातवीं अनुसूची की सूची III क़ानूनों की व्याख्या।

530 पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

भारत का संविधान-सातवीं अनुसूची की सूची III-प्रविष्टियाँ 33 और 34-गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति-आयोजितः प्रविष्टि 33 और 34, सूची III, सातवीं अनुसूची के आधार पर, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों के पास यह तय करने की शक्ति है कि

गन्ने का मूल्य-केंद्र सरकार के अधिकार का उपयोग करने और न्यूनतम मूल्य तय करने के बाद, राज्य सरकार गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय नहीं कर सकती है-हालांकि, राज्य सरकार के लिए सलाह दी गई कीमत तय करने के लिए हमेशा खुला रहता है जो हमेशा न्यूनतम मूल्य से अधिक होती है-यू. पी. गन्ना (आपूर्ति का विनियमन)

और खरीद) अधिनियम, 1953 - धारा 16-गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966-आयोजितः 1966 आदेश जारी किया गया

यू / धारा 16,1953 अधिनियम राज्य सरकार को पारिश्रमिक/सलाह मूल्य तय करने की शक्ति प्रदान करता है जिस पर गन्ना खरीदा जा सकता है।

या बेचा-यह मूल्य हमेशा केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक होगा।

आपूर्ति और खरीद) अधिनियम, 1953 - एस. 16.

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 - एस. 16-यदि एस के लिए प्रतिकूल है। 3 (2) (ग), 1955 अधिनियम और 1966 के आदेश का खंड 3-आयोजितः नहीं-आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 - एस. 3 (2) (सी)

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 खंड 3।

भारत का संविधान-Art.254; सातवीं अनुसूची की सूची III-कानूनों में अस्वीकृति-आयोजितः सूची III, सातवीं अनुसूची में अस्वीकृति का प्रश्न, जहां संघ और राज्यों दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है, केवल तभी उत्पन्न होता है जब कोई वास्तविक कानून हो।

दोनों कानूनों के बीच अपरिवर्तनीय संघर्ष।

संदर्भ का जवाब देते हुए, न्यायालय ने

पकड़नाः 1.1 विधायी इतिहास और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955, उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953, उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) आदेश, 1954, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1955, गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों से, जो टीका रामजी और उत्तर प्रदेश सहकारी संघ के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए आया था। केन यूनियन फेडरेशन, ऐसा प्रतीत होता है कि कानून में भारी बदलाव हुआ है। [पैरा 9] [562-सी]

1.2 च में शामिल प्रश्न। टीका रामजी और अन्य। , आदि वी। उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 [2020] 9 एस. सी. आर. था।

ऐसे गन्ना उत्पादक सहकारी समितियों को छोड़कर किसी गन्ना उत्पादक द्वारा उगाए गए गन्ने की खरीद। 1953 के अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना, जो चीनी कारखानों को आरक्षित या सौंपी गई थी इसके साथ संलग्न अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित, गन्ना खरीद केंद्र, उनसे जुड़े अधिकारियों के साथ, पेराई के मौसम के दौरान गन्ने की आपूर्ति के लिए कॉलम 3 में उनके खिलाफ निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि कारखानों को गन्ना की आपूर्ति करने वाली एजेंसी से संबंधित 27.9.1954 दिनांकित अधिसूचना और 9.11.1955 दिनांकित अधिसूचना

विशेष कारखानों के लिए क्षेत्रों के निर्माण से संबंधित सवाल उठाए गए थे। [पारस 12,13] [577-जी-एच; 578-ए-सी]

1.3 इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य के पास अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता थी, और कोई नहीं था

1951 के अधिनियम या आवश्यक के साथ 1953 के अधिनियम की अस्वीकृति

वस्तु अधिनियम, 1955। इस न्यायालय ने अधिनियम और अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखा और यह भी माना कि कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकारों का कोई उल्लंघन नहीं हुआ था। राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न

1953 का अधिनियम च में विचार के लिए नहीं आता था। टीका राम। इस अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय दिए जाने तक कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने की कीमत कभी तय नहीं की थी। जाँच करते हुए 1954 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है। याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, चीनी नियंत्रण आदेश, 1955,27.8.1955 पर जारी किया गया था, जिसे निर्णय में संदर्भित किया गया था। यह भी प्रस्तुत नहीं किया गया था या माना गया था कि पश्चिम यू. पी. चीनी मिल एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. की धारा 16 के तहत विनियमन की शक्ति।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

अधिनियम में गन्ने का अनुशंसित मूल्य तय करने की शक्ति शामिल होगी। केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की अवधारणा और राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले राज्य सलाह मूल्य की अवधारणा, उक्त निर्णय में इस न्यायालय के विचार के लिए कभी नहीं आई। निर्णय के अनुपात पर विचार किए गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। टीका रामजी में, यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1953 के अधिनियम में 1955 के अधिनियम या 1951 के अधिनियम के साथ कोई प्रतिकूलता नहीं थी, और जिन अधिसूचनाओं पर आपत्ति जताई गई थी, वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती थीं। [पारस 15-17] [578-G-H; 579-A-D] 1.4 इस प्रकार, टीका के मामले में इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए आने वाले तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रासंगिक प्रावधान

टीका रामजी के मामले में, इस न्यायालय ने हालांकि विशेष रूप से कहा और कहा कि चीनी और गन्ने के क्षेत्र में, दोनों संसद और राज्य विधानमंडल के पास समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि यह सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 के तहत आएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने मूल्य निर्धारित करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, हालांकि शक्तियां उपलब्ध थीं और केंद्र सरकार ने मूल्य/न्यूनतम मूल्य निर्धारित किया जो राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था, इस अदालत ने टीका रामजी के मामले में कहा कि ऐसी स्थिति में कोई संघर्ष नहीं है और प्रतिकूलता का सवाल है।

उठती नहीं है। इसलिए, टीका रामजी के मामले में निर्णयों और यू. पी. कूप के बीच कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं है। केन यूनियन फेडरेशन, जिन्हें [2020] 9 एस. सी. आर. की एक बड़ी पीठ के पास भेजे जाने की आवश्यकता है।

कीमत। खंड 3 (ए) के तहत, जैसा कि 2.2.1978 पर डाला गया है, लिखित समझौते की आवश्यकता होती है, और कीमत का भुगतान सहमति के अनुसार किया जाना चाहिए। 14 दिनों के भीतर। [पारस 18,19] [579-डी-एच; 580-ए-डी]

1.5 अन्यथा भी और गुण-दोष के आधार पर यह न्यायालय पूरी तरह से सही है

यू. पी. कूप के मामले में लिए गए दृष्टिकोण के साथ समझौता। केन यूनियन फेडरेशन, जो यह बताता है कि अगर राज्य सरकार एक कीमत तय करती है तो विसंगति या अस्वीकृति उत्पन्न होगी

यह केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित राशि से कम है। लेकिन, यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, तो किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता का कोई अवसर नहीं होगा क्योंकि दोनों आदेशों के लिए एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना संभव है। ए. राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च मूल्य स्वतः ही 1966 के आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) के प्रावधानों का पालन करेगा। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, किसी भी प्रकार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकता है। [पैरा 20] [580-ई-एफ]

1.6 संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार का प्रश्न

संविधानः

की सातवीं अनुसूची की सूची III में कानूनों के बारे में

भारत का संविधान, जहां संघ और राज्यों दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है, वहां अस्वीकृति का सवाल केवल उस मामले में उत्पन्न होता है जहां दोनों कानूनों के बीच वास्तविक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है। दोनों कानूनों के बीच असंगति अपरिवर्तनीय है, फिर तिरस्कार का सवाल उठता है। दोनों विधानसभाओं के प्रमुख इरादे, एक ही क्षेत्र के आंशिक या आनुषंगिक कवरेज को एक अलग संदर्भ में खोजना और एक लक्ष्य प्राप्त करना आवश्यक है।

अलग उद्देश्य, तिरस्कार के सिद्धांत को आकर्षित नहीं करता है। संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड (1) पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. को प्रधानता देता है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

राज्य के कानूनों के साथ टकराव के मामले में केंद्रीय विधान

पहले या बाद में अधिनियमित। केंद्रीय कानून केवल प्रतिकूलता के मामले में काम करता है और केवल संभावना के मामले में नहीं जब ऐसा हो।

आदेश राज्य के कानून के तहत जारी किया जा सकता है। [पैरा 20.1,20.3] [580-जीएच; 581-ए; 584-सी-डी]

राजीव सरीन बनाम। उत्तराखंड राज्य (2011) 8 एस. सी. सी. 708; एम. करुणानिधि बनाम। भारत संघ (1979) 3 एससीसी 431: [1979] 3 एस. सी. आर. 254; बेलसुंड शुगर कं. लिमिटेड बनाम। बिहार राज्य और अन्य। (1999) 9 एससीसी 620: [1999] 1 पूरक। एस. सी. आर. 146; पंजाब डेयरी विकास बोर्ड और अन्र. वी.

सेफम मिल्क स्पेशलिटीज लिमिटेड और अन्य। (2004) 8 एस. सी. सी. 621; सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम।

विद्युत निरीक्षक और ई. टी. आई. ओ. और अन्य। (2007) 5 एससीसी

447 [2007] 6 एस. सी. आर. 955; भारत हाइड्रो पावर

निगम लिमिटेड और अन्य। वी. असम और अन्र राज्य। (2004)

2 एससीसी 553: [2004] 1 एस. सी. आर. 284-निर्भर। 1.7 यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों में,

एक सहमत कीमत। लेकिन 1953 के अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य सलाह मूल्य तय करने की शक्ति का प्रयोग, धारा के तहत न्यूनतम मूल्य निर्धारण के साथ अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है। 3 (2) (ग) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 का खंड 3। 1953 के अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य के निर्धारण की शक्ति को किसी भी तरह से मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है। [पैरा 20.4] [584-ईएच; 585-ए] [2020] 9 एस. सी. आर.

1.8 इस न्यायालय ने प्रभाव, दायरे को ध्यान में रखा

और अधिनियम के तहत धारा 16 का प्रभाव। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 16 में खरीद को विनियमित करने के प्रावधान पर विस्तार से विचार किया

और आरक्षित और निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने की आपूर्ति, जिसके तहत राज्य सरकार को विनियमन करने की शक्ति निहित है। किसी आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने का वितरण, बिक्री या खरीद और उस आशय का आदेश जारी करके आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में गन्ने की खरीद। इसके बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विनियमन की शक्ति में एस. ए. पी. को ठीक करने की शक्ति शामिल है। इस न्यायालय ने भी विशेष रूप से अवलोकन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई तिरस्कार नहीं था। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 16 को लागू करने की प्रासंगिकता, महत्व, उद्देश्य और उद्देश्य, इसके प्रभाव, निहितार्थ और कारणों को ध्यान में रखा और

सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने के बाद इस न्यायालय ने विशेष रूप से कहा है कि एस. ए. पी. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है जिसे सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस. एम. पी.) के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों के मामले में, इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 16 के तहत एस. ए. पी. तय करने की राज्य सरकार की शक्ति को विशेष रूप से बरकरार रखा है। [पैरा 20.4। 2 , 20.4. 3] [585 - डी-जी]

1.9 निम्नलिखित कारक प्रासंगिक तथ्य हैं

एस. ए. पी. का निर्धारण।

((i) गन्ने की खेती की लागत।

((ii) गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने को खेत से खरीद केंद्र या मिल गेट तक ले जाने की लागत, जैसा भी मामला हो।

(iii) गन्ना उत्पादकों को उनकी उपज की उपरोक्त राशि पर उचित प्रतिफल। ((iv) गन्ना क्षेत्र की उपलब्धता, उद्योगों द्वारा गन्ने की मांग, चीनी बेचकर उद्योगों की लाभप्रदता और अन्य

अलविदा उत्पाद आदि।

(vi) चीनी उद्योगों से गन्ना को कोल्हू जैसे अन्य उपभोक्ताओं की ओर मोड़ने से बचने के लिए आवश्यक कारक और खंडसारी इकाइयाँ।

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

ऐसा प्रतीत होता है कि एस. ए. पी. का निर्धारण और निर्धारण एक कैबिनेट निर्णय है जिसे कई बातों पर विचार करने के बाद तय किया गया है।

गन्ने की खेती/उत्पादन की लागत आदि सहित कारक और प्रासंगिक बातों को ध्यान में रखते हुए उपरोक्त कारकों में राष्ट्रीय आर्थिक विकास में वृद्धि, गन्ने के उत्पादन की लागत, बीज, उर्वरक, श्रम शुल्क, सिंचाई आदि की लागत में वृद्धि, चीनी कारखानों द्वारा उप उत्पादों, बिजली परियोजनाओं आदि से प्राप्त लाभ शामिल हैं। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण इस तरह की कीमत-एसएपी-का निर्धारण करते समय सभी प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होता है। [पैरा 20.5] [585-एच; 586-ए-ई]

1.10 1966 के आदेश में "मूल्य" शब्द को हटा दिया गया है और 1966 के आदेश का खंड 3 प्रदान करता है कि केंद्रीय

सरकार चीनी के उत्पादक द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ने की "न्यूनतम कीमत" तय कर सकती है। "मूल्य" और "न्यूनतम मूल्य" के बीच अंतर है। उपरोक्त 1966 के आदेश के प्रासंगिक खंडों से स्पष्ट होगा। राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का प्रावधान उन गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है जो बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। खंड 3 (1) केंद्र सरकार को न्यूनतम मूल्य तय करने का अधिकार देता है। चीनी के उत्पादकों या उनके एजेंटों द्वारा उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया जाना। खंड 3 (2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति चीनी उत्पादक या उसके एजेंट को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा और ऐसा कोई भी उत्पादक या एजेंट उस निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर गन्ना नहीं खरीदेगा या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा।

उपखंड (1) के अधीन। खंड 3 (3) के अनुसार, जहां चीनी का उत्पादक किसी गन्ना उत्पादक से कोई गन्ना खरीदता है या

गन्ना उत्पादक सहकारी समिति से, उत्पादक, जब तक कि पक्षों के बीच इसके विपरीत लिखित समझौता न हो, विक्रेता को गन्ना देने की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भुगतान करेगा या उसे उत्पादक और गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच या उपखंड (1) के तहत निर्धारित दर पर बेचे गए गन्ने की कीमत का भुगतान करेगा। खंड (3-ए) में प्रावधान है कि चीनी का उत्पादक या उसका प्रतिनिधि अपने द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति को भुगतान करेगा, या तो

खंड 3 के तहत निर्धारित गन्ने का न्यूनतम मूल्य, या उत्पादक या उसके एजेंट और गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच सहमत मूल्य, [2020] 9 एस. सी. आर. के रूप में।

मामला (सहमत कीमत) हो सकता है। समझौते के तहत भुगतान की जाने वाली सहमत कीमत भी एस. ए. पी. निर्धारित और/या राज्य द्वारा निर्धारित की जा सकती है। सरकार। खंड (5-ए) में प्रावधान है कि जहां चीनी का कोई उत्पादक प्रत्येक चीनी वर्ष के दौरान किसी गन्ना उत्पादक से गन्ना खरीदता है, तो वह खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य के अलावा एक अतिरिक्त मूल्य का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। खंड 5 का उपखंड (2)-ए उपयुक्त प्राधिकारी को अधिकृत करता है -

अतिरिक्त कीमत निर्धारित करें। उपखंड (5) में यह भी प्रावधान है कि उपखंड (2) या उपखंड (3) के तहत निर्धारित किसी भी अतिरिक्त मूल्य का भुगतान चीनी उत्पादक द्वारा करने की आवश्यकता नहीं है, जो गन्ना उत्पादक को खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करता है, बशर्ते कि इस तरह से भुगतान की गई कीमत कुल मूल्य से कम न हो जिसमें न्यूनतम गन्ना मूल्य शामिल हो। खंड 3 के तहत निर्धारित और उपखंड (2) या उपखंड (3) के तहत निर्धारित अतिरिक्त मूल्य। [पैरा 20.7,20.7। 1 , 20.7. 2] [588 ए-सी; 589-ई-एच; 590-ए-डी]

सुखनंदन सरन दिनेश कुमार और अन्य। वी. संघ का

भारत और ओआरएस। (1982) 2 एससीसी 150 [1982] 3 एससीआर 371 पर भरोसा किया।

1.11 राज्य के पास निर्धारित करने और ठीक करने की क्षमता है

धारा 16 के तहत निर्धारित राज्य सलाह मूल्य और इसलिए राज्य सरकार द्वारा एस. ए. पी. का निर्धारण विधायी क्षमता के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। एक बार राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का निर्धारण हो जाने के बाद, गन्ना आयुक्त पक्षों को यू. पी. में आयोजित किए गए मूल्य का पालन करने का निर्देश दे सकता है।

सहकारी गन्ना उत्पादक संघ। यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 16 में दिए गए विनियामक उपाय के तहत मूल्य निर्धारण मनमानेपन से ग्रस्त है, और न ही इसे ऐसा कहा जा सकता है

अप्रचलित शक्ति। 1966 के आदेश की पूरी योजना पर विचार करते हुए,

मूल्य) "न्यूनतम मूल्य" से नीचे। समझौते के अनुसार "सलाह दी गई कीमत" आवश्यक रूप से उससे अधिक होनी चाहिए " न्यूनतम मूल्य "। इस प्रकार, "मूल्य" और "न्यूनतम मूल्य" के बीच अंतर है। 1966 के आदेश के खंड 3 के अनुसार, यह केंद्र सरकार को "न्यूनतम मूल्य" तय करने का अधिकार देता है।

और राज्य सरकार पश्चिम उत्तर प्रदेश शक्कर मिल संगठन और ओ. आर. एस. का अनुशंसित मूल्य तय करने के लिए अधिकृत है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

जैसा कि ऊपर देखा गया है, केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से हमेशा अधिक होता है। [पारस 21,22] [590-ई-एच; 591-ए]

1.12 इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा इस मामले में बाद के निर्णय में लिया गया दृष्टिकोण -

यू. पी. कूप। केन यूनियन फेडरेशन सही कानून है। टीका रामजी के मामले में और यू. पी. कूप के मामले में इस अदालत के दो फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है। केन यूनियन फेडरेशन और इसलिए, मामले को सात न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैंः

ए। प्रविष्टियों 33 और 34 के आधार पर सातवीं की सूची III

अनुसूची, केंद्र सरकार के साथ-साथ राज्य सरकार दोनों के पास गन्ने की कीमत तय करने की शक्ति है। केंद्र सरकार ने शक्ति का प्रयोग किया है और

गन्ने की "न्यूनतम कीमत" तय करें। हालाँकि, साथ ही, राज्य सरकार के लिए इसे ठीक करने के लिए हमेशा खुला रहता है। "
गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, जो अभ्यास में जारी किया गया है, वह "न्यूनतम मूल्य" से हमेशा अधिक होता है।

यू. पी. गन्ना की धारा 16 के तहत शक्तियों का अधिकार (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953;

बी। गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966, जो उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 16 के तहत जारी किया गया है, राज्य सरकार को उस पारिश्रमिक/सलाह मूल्य को तय करने की शक्ति प्रदान करता है जिस पर गन्ना खरीदा या बेचा जा सकता है जो केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से हमेशा अधिक होगा।

सरकार;

सी। यू. पी. गन्ना (आपूर्ति का विनियमन) की धारा 16

और खरीद) अधिनियम, 1953 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (सी) और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के खंड 3 के प्रतिकूल नहीं है।

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966, जैसा कि देखा गया है

इसके ऊपर, वह कीमत जो केंद्र द्वारा तय की जाती है

सरकार "न्यूनतम मूल्य" है और जो मूल्य राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वह "अनुशंसित मूल्य" है जो हमेशा [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से अधिक होता है।

केवल उस मामले में है जहां "सलाह दी गई कीमत" निर्धारित की गई है राज्य सरकार निर्धारित न्यूनतम मूल्य से कम है।

केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के प्रावधान

अधिनियम प्रबल होंगे और "न्यूनतम मूल्य" द्वारा निर्धारित किया जाएगा

केंद्र सरकार प्रबल होगी। जब तक कि

" राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "अनुशंसित मूल्य" अधिक है। केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से,

इसे अनुच्छेद 254 के तहत अमान्य नहीं कहा जा सकता है।

भारत का संविधान।

डी। इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों के मामले में बनाम। वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य

सही कानून। [पैरा 23] [591-डी-एच; 592-ए-एफ] यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघ बनाम पश्चिमी उत्तर प्रदेश

चीनी मिल संघ और अन्य (2004) 5 एस. सी. सी. 430:

[2004] 2 पूरक। एस. सी. आर. 238-सही कानून।

च. टीका रामजी और अन्य, आदि। उत्तर राज्य

प्रदेश और अन्य एआईआर 1956 एससी 676 [1956] एससीआर

393 ; उड़ीसा राज्य बनाम। एम. ए. टुलोच एंड कंपनी [1964] 4

एससीआर 461; डॉ. प्रीति श्रीवास्तव बनाम। एम. पी. राज्य (1999)

7 एससीसी 120: [1999] 1 पूरक। एस. सी. आर. 249-संदर्भित।

मामला कानून संदर्भ

[1956] एससीआर 393

संदर्भित किया गया है

पै

रा 1

[2004] 2 पूरक। एससीआर 238

पै

रा 1

सही कानून बनाया गया

[1964] 4 एससीआर 461

संदर्भित किया गया है

पै

रा 6.2

[1979] 3 एससीआर 254

उस पर भरोसा करें

पै

रा 6.2

[1999] 1 पूरक। एससीआर 249

संदर्भित किया गया है

पै

रा 7.2

(2011) 8 एस. सी. सी. 708

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.1

[1999] 1 पूरक। एससीआर 146

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.3

(2004) 8 एससीसी 621

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.3

[2007] 6 एससीआर 955

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.3

[2004] 1 एससीआर 284

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.3

[1982] 3 एससीआर 371

उस पर भरोसा करें

पै

रा 20.7।

1 पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस.

सिविल अपीलीय मूल न्यायनिर्णयः सिविल अपील

सी. ए. सं. 7509-7510 2005 का 150,2007 का 150,2007 का 2664,2009 का 4026,2009 का 4024,2009 का 4025,2009 का 401 2009 , 3925 2009 का 3996-3997,2009 का 4764, CONMT। पीईटी। ((ग) संख्या। 169 सी. ए. सं. 2006 में, 2007 में 254,2007 में 253। 7508/2005 एसएलपी (सी) संख्या। 18681 2008 का 19183,2008 का 20206,2008 का 20205,2008 का 21576-21581,2008 का 21585-21587,2008 का 23202,2008 का 26026, अवमानना याचिका (सी) संख्या। 263-264 2008 का, सीए संख्या में 2008 का 267-268। 3996-3997 / 2009 और 2008 का 265-266, टी. सी. (ग) 2013 की सं. 96।

जयंत भूषण, कृष्णन वेणुगोपाल, वरिष्ठ अधिवक्ता। , महेश अग्रवाल, शुभम कुलश्रेष्ठ, योजना मेहरा, अमर्त्य भूषण, नरेंदर

कुमार वर्मा, सुश्री मालविका कपिला, अपूर्व खटोर, तुषार भूषण, अमृत भूषण, सुश्री अनुश्री मेनन, मिथुन एस., विकास मेहता, ई. सी. अग्रवाल, रोहित के. सिंह, उदय तिवारी, पी. एन. राजदान, मिर्जा कायेश बेग, सुश्री सलोनी तंगरी, सुश्री अंशरुता माहेश्वरी, नवप्रीत सिंह अहलूवालिया, सलिल सेठ, अनुज ढींगरा, नीरज मलिक, उमेश कुमार खेतान, सैयद शाहिद हुसैन रिज़वी, संजीव कुमार सिंह, जीशान रिज़वी, सुश्री अनस रिज़वी, सैयद इम्तियाज अली, पीयूष बेरीवाल, पद्मेश मिश्रा, डी. एल.), अमोल चिताले, सुश्री प्रज्ञा बघेल, जी. एन. रेड्डी, टी. विजय भास्कर रेड्डी, दिग्विजय हरिचंदन, सुश्री रूबी सिंह आहूजा, विशाल गेहराना, नकुल गांधी, श्रवण साहनी, श्रीमती माणिक करंजावाला (मेसर्स करंजावाला एंड कंपनी के लिए), विकास एस. वागमारे, हितेश कुमार शर्मा, अखिलेश्वर झा, सुश्री मीनाक्षी एस., प्रवीण कुमार, श्री गुन्नम वेंकटेश्वर राव, वाई. राजा गोपाल राव, वाई. विस्मई राव, प्रशांत कुमार (मेसर्स के लिए)। ए. पी. एंड जे. चैम्बर्स), पी. एन. गुप्ता, पारिजात सिन्हा, विष्णु शर्मा, सुश्री अनुपमा शर्मा, वी. पी. पाठक, कुमार प्रसून रंजन, डॉ. अभिषेक अत्रे, सुश्री अंबिका अत्रे, सुश्री विद्युतमा, एस. एस. रे, सुश्री राखी रे, अमर दवे, पी. एस. सुधीर, ऋषि माहेश्वरी, [2020] 9 एस. सी. आर.

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

सुश्री श्रुति जोस, विश्वजीत सिंह, अक्षत कुमार, गौरव अग्रवाल, पंकज गुप्ता, प्रदीप मिश्रा, श्रीमती बीना गुप्ता, जतिंदर कुमार भाटिया, के. आर. शशिप्रभु, विष्णु शर्मा, रितेश अग्रवाल, पुनीत दत्त त्यागी, अभिषेक अत्रे, सुश्री सी. के. सुचरिता, प्रशांत कुमार, सिद्धार्थ चौधरी, श्रीमती वी. डी. खन्ना, बिमल रॉय जाड, वी. के. वर्मा, रोहित के. सिंह, अर्धनदुमौली कुमार प्रसाद, अंभोज कुमार सिन्हा, रवि प्रकाश मेहरोत्रा, श्रीमती अनिल कटियार, प्रवीण कुमार, पी. के. भल्ला, टी. महिपाल, अक्षत कुमार, पी. आई. जोस, अधिवक्ता। उपस्थित दलों के लिए।

न्यायालय का निर्णय इसके द्वारा दिया गया था

एम. आर. शाह, जे.

1. यह ध्यान में रखते हुए कि इस न्यायालय के दो निर्णयों के बीच एक स्पष्ट संघर्ष है, एक च के मामले में। टीका रामजी और अन्य, आदि बनाम। उत्तर प्रदेश और अन्य राज्य [ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 = 1956 एस. सी. आर. 393 = 1956 एस. सी. जे. 625] और यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघ बनाम के मामले में एक और बाद का निर्णय। वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड अदर्स [(2004) 5 एस. सी. सी. 430], इस न्यायालय की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने मामले को एक बड़ी पीठ के पास भेज दिया है, जिसमें कानून के निम्नलिखित प्रश्नों पर बड़ी पीठ द्वारा विचार करने का प्रस्ताव किया गया है, अधिमानतः इस न्यायालय के सात न्यायाधीशों वाली पीठः

(1) क्या संविधान की अनुसूची VII सूची III प्रविष्टि 33 के साथ पठित अनुच्छेद 246 के आधार पर खेत पर केंद्रीय कानून का कब्जा है और इसलिए केंद्र सरकार के पास गन्ने की कीमत तय करने की विशेष शक्ति है?
(2) चाहे धारा 16 हो या यू. पी. का कोई अन्य प्रावधान।

गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 राज्य सरकार को यह तय करने की कोई भी शक्ति प्रदान करता है कि

किस कीमत पर गन्ना खरीदा या बेचा जा सकता है?

(3) यदि इस प्रश्न का उत्तर सकारात्मक है, तो क्या धारा 16 या यू. पी. गन्ना का उक्त प्रावधान।

(आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (सी) और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 3 के विपरीत है। [इसके बाद "1966 आदेश" के रूप में संदर्भित]? और यदि ऐसा है, तो केंद्रीय अधिनियमों के प्रावधान पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. पर हावी होंगे।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

राज्य अधिनियम और उस सीमा तक राज्य अधिनियम के प्रावधान अनुच्छेद 254 के तहत शून्य होंगे।

भारत का संविधान।

(4) क्या यू. पी. गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 16 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस. ए. पी. मनमाना है, बिना किसी विवेकपूर्ण या तर्कसंगत आधार के और इसलिए अमान्य है।

और अवैध?

(5) क्या राज्य सलाह मूल्य (संक्षेप में "एसएपी") मूल्य का एक वैधानिक निर्धारण है? यदि ऐसा है, तो क्या यह विधानमंडल के भीतर है?

राज्य की क्षमता?

(6) क्या गन्ने की कीमत तय करने की शक्ति बिना किसी दिशानिर्देश के है और मनमाने ढंग से प्रदान की जाती है और

गैर-मान्यता प्राप्त शक्ति जो अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करती है और

19 (1) (छ) भारत के संविधान का?

2. मुख्य मुद्दा यह है कि क्या यू. पी. राज्य के पास ई-स्टेट एडवाइज्ड प्राइस (एस. ए. पी.) [जिसे इसके बाद "एस. ए. पी". के रूप में संदर्भित किया जाता है] का अधिकार है, जिसे केंद्रीय सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अलावा और अधिक भुगतान करने की आवश्यकता है?

3. शुरुआत में यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि टीका रामजी मामले में

क), इस न्यायालय के पाँच न्यायाधीशों की एक पीठ ने निम्नानुसार अभिनिर्धारित कियाः

कि, यू. पी. गन्ना (आपूर्ति का विनियमन) की धारा 16

((i)

और खरीद) अधिनियम, 1953 [इसके बाद "1953 यू. पी. अधिनियम" के रूप में संदर्भित] में मूल्य निर्धारित करने की शक्ति शामिल नहीं है;

((ख)

कि, गन्ने की कीमत केवल यू. पी. सरकार द्वारा तय की गई थी

इसका अर्थ है गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1955 के खंड 3 के तहत उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य जो केंद्र सरकार होगी [इसके बाद "1955 आदेश" के रूप में संदर्भित];

(iii) वह, यहाँ तक कि समझौते की ओर से प्रावधान भी

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) आदेश, 1954 (इसके बाद "1954 उत्तर प्रदेश आदेश" के रूप में संदर्भित) के खंड 3 और 4 में निहित है, बशर्ते कि कीमत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, बशर्ते कि ऐसी कटौती, यदि कोई हो, जो भी हो सके। सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित किया जाए, जिसका अर्थ है [2020] 9 एस. सी. आर.

इस प्रकार केंद्र सरकार, राज्य सरकार ने किसी भी समय इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है।

जो भी हो;

((iv) कि, यू. पी. गन्ना अधिनियम या नियमों और उसके तहत किए गए आदेशों के तहत गन्ने की कीमत तय करने की कोई शक्ति नहीं है;

यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि टीका रामजी मामले (उपरोक्त) में, इस न्यायालय ने किया था

इस पर टिप्पणी नहीं की कि क्या 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की गई शक्ति केंद्रीय विधान के प्रतिकूल होगी, क्योंकि इस न्यायालय ने राज्य सरकार द्वारा प्रयोग की गई ऐसी कोई शक्ति नहीं पाई।

4. हालाँकि, बाद में, यू. पी. कॉप के मामले में इस न्यायालय की पांच अन्य न्यायाधीशों की पीठ। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) ने विशेष रूप से तिरस्कार के प्रश्न में गया और कहा कि अगर राज्य सरकार एक तय करती है तो विसंगति या तिरस्कार बढ़ेगा

कीमत जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम हो। लेकिन, यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, तो किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता का कोई अवसर नहीं होगा क्योंकि दोनों आदेशों के लिए एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना संभव है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित उच्च मूल्य स्वतः 1966 के आदेश के खंड 3 (2) के प्रावधानों का पालन करेगा। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, किसी भी प्रकार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकता है।

यू. पी. कूप के मामले में। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), इस न्यायालय ने कहा कि राज्य सरकार के पास कीमत तय करने की शक्ति है

जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक हो सकता है।

इस न्यायालय ने संदर्भ आदेश में कहा कि उपरोक्त सीमा तक राय और/या संघर्ष का अंतर है।

5. हमने संबंधित पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील से आह्वान किया है कि वे पहले इस बात पर ध्यान दें कि क्या वास्तव में टीका रामजी (सुप्रा) और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय के फैसलों के बीच कोई टकराव है। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) या नहीं और क्या इस मामले को सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजने की आवश्यकता है?

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

6. अपीलार्थियों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री जयंत भूषण ने कहा है कि यह मामला निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों को उठाता है।

(1)

क्या राज्य सरकार/गन्ना आयुक्त के पास है

1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत गन्ने का मूल्य तय करने के लिए कोई शक्ति या प्राधिकरण?

यदि यू. पी. राज्य के पास ऐसी शक्ति होती, तो क्या ऐसा विधान होता?

(2)

केंद्रीय कानून यानी आवश्यक के प्रतिकूल होना वस्तु अधिनियम और 1966 का आदेश?

(3)

क्या संविधान के बीच कोई टकराव है

टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय की पीठ का निर्णय। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा)?

1938 के यू. पी. अधिनियम 1 को 1953 के यू. पी. अधिनियम से हटा दिया गया था क्योंकि उस शक्ति का प्रयोग केंद्र द्वारा चीनी और गुड़ नियंत्रण आदेश, 1950 के खंड 3 के तहत किया जा रहा था। टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 34 पर भरोसा रखा गया है। 6.1. 1 यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में यह विशेष रूप से अभिनिर्धारित किया गया है कि 1953 का यू. पी. अधिनियम या बनाए गए नियम और आदेश

इसके तहत गन्ने की कीमत तय करने का कोई प्रावधान नहीं किया गया था और इसलिए, इसके साथ प्रतिकूलता का कोई सवाल ही नहीं था।

केंद्रीय कानून। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. पी. कॉप के मामले में। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), इस न्यायालय ने टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में निर्णय के पैराग्राफ 34 और प्रासंगिक पैराग्राफ को उद्धृत नहीं किया और गलत तरीके से यह अभिनिर्धारित किया कि टीका रामजी (सुप्रा) ने केवल यह अभिनिर्धारित किया कि राज्य ने वास्तव में कीमत तय करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया।

6.1. 2 यह तर्क दिया जाता है कि टीका रामजी (सुप्रा)

केवल यह कहना कि राज्य सरकार ने कीमत तय नहीं की क्योंकि यह पहली बार 1973 में तय की गई थी, पूरी तरह से गलत है। यह प्रस्तुत किया जाता है कि [2020] 9 एस. सी. आर

टीका रामजी मामले में विशेष रूप से कहा गया है कि 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों और आदेशों के तहत गन्ने की कीमत तय करने का कोई अधिकार नहीं था। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि टीका रामजी (सुप्रा) में निर्णय विशेष रूप से 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 16 का हवाला नहीं देता है, लेकिन निर्णय से यह स्पष्ट है कि प्रत्येक धारा और प्रत्येक नियम की जांच यह देखने के लिए की गई थी कि क्या गन्ना मूल्य निर्धारित करने की कोई शक्ति थी या गन्ना मूल्य से संबंधित कोई प्रावधान था। यह आग्रह किया जाता है कि 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम और नियमों की विस्तृत जांच में पाया गया एकमात्र प्रावधान नियम 94 था जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य को दर्शाने के लिए एक नोटिस का प्रावधान किया गया था, जिसे संविधान पीठ ने केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य के लिए निर्धारित किया था।

6.2 अब, जहाँ तक प्रश्न संख्या 2 का संबंध है, यह तर्क दिया जाता है कि भले ही ऐसी शक्ति 1953 के यू. पी. अधिनियम की धारा 16 के तहत मौजूद हो,

1955 के आदेश के खंड 3 के तहत और उसके बाद 1966 के आदेश के तहत न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की केंद्र सरकार की शक्ति पूरी तरह से प्रतिकूल होगी। यह प्रस्तुत किया जाता है कि हालांकि टीका रामजी मामला (ऊपर)

इस पर कोई टिप्पणी नहीं की है कि क्या राज्य सरकार के साथ ऐसी शक्ति केंद्रीय विधान के लिए प्रतिकूल होगी, क्योंकि उसे राज्य सरकार द्वारा ऐसी कोई शक्ति का प्रयोग नहीं मिला, जो बाद में बहुमत में थी। यू. पी. कॉप के मामले में संविधान पीठ का फैसला। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) ने माना कि यह केंद्रीय विधान के प्रतिकूल नहीं होगा। यह तर्क दिया जाता है कि यह मानने का आधार है कि कोई तिरस्कार नहीं है

यह है कि दोनों आदेशों के लिए एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना संभव है। यह तर्क दिया जाता है कि यू. पी. कूप के मामले में। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), बाद में यह माना जाता है कि कोई भी

टीका रामजी (सुप्रा) के मामले सहित पूर्ववर्ती संविधान पीठ के फैसले के विपरीत और गलत। यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए इस मुद्दे को भी संघर्ष को हल करने के लिए एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है। उड़ीसा राज्य बनाम एम. ए. के मामले में टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में कुछ टिप्पणियों पर भरोसा रखा गया है। तुलोच एंड कंपनी [1964 (4) एस. सी. आर. 461] और एम. करुणानिधि बनाम भारत संघ [(1979) 3 एस. सी. सी. 431] के मामले में। 6.2. 1 यह तर्क दिया जाता है कि इसलिए दो न्यूनतम मूल्य नहीं हो सकते हैं, एक केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य के रूप में निर्धारित किया गया है और दूसरा राज्य सरकार द्वारा एसएपी के रूप में निर्धारित किया गया है, जो कि न्यूनतम मूल्य भी है।

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एक बार जब केंद्र ने न्यूनतम मूल्य तय कर दिया है, तो कोई भी अन्य मूल्य चाहे न्यूनतम मूल्य हो या एस. ए. पी. केंद्र के निर्णय के प्रतिकूल होगा और इसलिए केंद्र की शक्ति और राज्य सरकार की ऐसी शक्ति को संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत केंद्रीय कानून के अधीन होना होगा, दोनों विधान निम्न के अंतर्गत हैं -

समवर्ती सूची।

6.3 यह आग्रह किया जाता है कि टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के फैसले के बीच सीधा टकराव है। एक ओर और बाद में यू. पी. कूप के मामले में संविधान पीठ का निर्णय भी। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), जिसे सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है।

7. दूसरी ओर, यू. पी. राज्य की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णन वेणुगोपाल ने जोरदार तर्क दिया है कि टीका रामजी (सुप्रा) और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के दो फैसलों के बीच कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं है। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा)। समर्थन में, उन्होंने निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं।

(1)

कि, प्रचलित कानून में एक बड़ा बदलाव है और

टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार किया गया

और उसके बाद यू. पी. कॉप के मामले में। बेंत संघ

संघ (सुप्रा);

(2)

कि, 1953 के यू. पी. अधिनियम को चुनौती देने के समय तक और

यू. पी. सहकारी समिति में 1953 के यू. पी. अधिनियम की धारा 16 के तहत 1954 का यू. पी. आदेश। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), आधार में एक मौलिक परिवर्तन हुआ था जिस पर टीका रामजी मामले का निर्णय इस हद तक किया गया था कि केंद्र सरकार ने 1966 के आदेश द्वारा 1955 के आदेश को निरस्त और प्रतिस्थापित किया था। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 के तहत जारी 1966 का आदेश स्पष्ट रूप से राज्य के लिए 1966 के आदेश के खंड 3 (1) के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य की सलाह देने की गुंजाइश छोड़ दी गई, जिस पर किसानों या सहकारी समितियों के बीच गन्ना खरीद के लिए समझौते किए जा सकते हैं, विशेष रूप से इसके संदर्भ में

विशेष के लिए गन्ना उगाने वाले क्षेत्रों का आरक्षण

चीनी कारखानों द्वारा खरीद।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कि, टीका रामजी (सुप्रा) का अनुपात केवल 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम के तहत सत्ता की पूर्ण अनुपस्थिति पर आधारित नहीं है।

कीमतें तय करने के लिए। यह प्रस्तुत किया जाता है कि यदि ऐसा है, तो इस न्यायालय को इस "तथ्य" पर अपने तर्क को आधार बनाने की कोई आवश्यकता नहीं थी कि उत्तर प्रदेश राज्य ने वास्तव में इसके लिए कीमत तय नहीं की थी।

गन्ना।

कि, टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में, हालांकि विवादित 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 16 का संक्षिप्त उल्लेख है, न तो मुद्दा उठाया गया था और मुद्दा संख्या (iii) यह था कि क्या 1955 के आदेश के खंड 7 के साथ पठित आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 16 को निरस्त करने का आशय हो सकता था। 1953 के यू. पी. अधिनियम की धारा 16 और 1954 के यू. पी. आदेश के संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के प्रावधान के आलोक में

भारत में न तो यह मुद्दा उठाया गया और न ही 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 16 के प्रभाव या निहितार्थ पर कोई तर्क या चर्चा की गई।

" 1953 के यू. पी. अधिनियम के प्रतिकूलता की चर्चा के संदर्भ में 1955 के आदेश के तहत न्यूनतम मूल्य। कि, केंद्रीय कानून और राज्य के कानून के बीच प्रतिकूलता से संबंधित कानून में एक बड़ा बदलाव हुआ है

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची में समवर्ती सूची, सूची III के तहत बनाए गए कानूनों के संदर्भ में, जहां केंद्र और राज्यों दोनों को कानून बनाने की शक्ति है।

और केवल उच्च मूल्य तय करने के लिए एक समझौते की अनुमति देते हुए "न्यूनतम मूल्य" तय करने की शक्ति बनाए रखें। गन्ना। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए, केंद्रीय

सरकार ने गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों के बीच होने वाले समझौते के उद्देश्यों के लिए न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य तय करने के लिए राज्य के लिए इसे खुला छोड़ दिया है

एक ओर सहकारी समिति और दूसरी ओर गन्ना कारखाने। यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए केंद्र सरकार ने स्पष्ट रूप से गन्ने के संबंध में मूल्य निर्धारण के क्षेत्र के एक विशेष हिस्से को खाली करने के अपने इरादे का संकेत दिया और इसे राज्य के लिए खुला छोड़ दिया।

अधिकृत क्षेत्र का कोई अनुप्रयोग नहीं है।

टी. यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ऑर्स। वी. उत्तर प्रदेश और ओआरएस का भोजन। [एम. आर. शाह, जे.]

यह प्रस्तुत किया जाता है कि एम. ए. टुलोच एंड कंपनी के मामले में इस न्यायालय के निर्णय पर निर्भरता रखी गई है। (सुप्रा) ऑन

अधिकृत क्षेत्र सिद्धांत लागू नहीं होगा

उस मामले के तथ्य जो खानों और खनिज विकास के विनियमन और उस विनियमन से संबंधित हैं जो

सूची II में प्रविष्टि 23 के बीच संबंध शामिल है

और सातवीं अनुसूची की सूची I में प्रविष्टि 54, दोनों जिनसे यह स्पष्ट होता है कि संसद इस आशय की घोषणा करके विधान के क्षेत्र को अपने नियंत्रण में ले सकती है।

श्री वेणुगोपाल, उत्तर प्रदेश राज्य की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने इसके समर्थन में निम्नलिखित प्रस्तुतियाँ की हैं कि प्रावधान आदेश में इस हद तक मौलिक परिवर्तन किया गया है कि इसे 1966 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया था।

कि, 1955 के आदेश के खंड 3 ने केंद्र सरकार को "मूल्य या न्यूनतम मूल्य" तय करने का अधिकार दिया।

द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए चीनी उत्पादक द्वारा भुगतान किया गया उसे। 1955 के आदेश को 1966 के आदेश द्वारा निरस्त कर दिया गया है और 1966 के आदेश के खंड 3 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार चीनी उत्पादकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ने की "न्यूनतम कीमत" तय कर सकती है।

अर्थात्, "मूल्य" जो एक निश्चित राशि है और "न्यूनतम मूल्य" जो केवल न्यूनतम अनुमेय दर को इंगित करता है, के बीच एक अंतर है। 1966 के आदेश में 1976 और 1978 में और संशोधन किया गया और खंड 3 (3) और 3-ए पेश किए गए, जो अब एक "सहमत मूल्य" पर विचार कर रहे थे। न्यूनतम मूल्य से नीचे लेनदेन करने पर खंड 3 (2) में निषेध को देखते हुए, "सहमत मूल्य" अनिवार्य रूप से खंड 3 (1) के तहत निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से अधिक होना चाहिए।

यह, 1966 के आदेश के संशोधित प्रावधानों से स्पष्ट है, जैसा कि 1976 में और फिर 1978 में संशोधित किया गया था, कि केंद्र सरकार ने जानबूझकर इसके पक्ष में जगह खाली कर दी थी।

राज्य विधानमंडल किन मूल्यों पर समझौतों को विनियमित करेगा

गन्ना किसानों के बीच संपर्क किया जा सकता है और गन्ने की खरीद के लिए गन्ना किसानों की सहकारी समितियाँ, विशेष रूप से आरक्षण के संदर्भ में

चीनी कारखानों द्वारा खरीद के लिए क्षेत्र।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

(4)

इसलिए, यह स्पष्ट है कि जब तक राज्य ने सलाह दी है 1953 के उत्तर प्रदेश अधिनियम की धारा 16 के तहत शक्तियों का प्रयोग करके उत्तर प्रदेश राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य

1966 के आदेश के तहत केंद्रीय विधानमंडल द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य के अलावा, इस हद तक कोई प्रतिकूलता नहीं है कि दोनों कानूनों का पालन किया जा सके।

दूसरे का उल्लंघन किए बिना।

7.2 यह आगे तर्क दिया जाता है कि यू. पी. कूप के मामले में। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), इस न्यायालय ने ठीक ही कहा है और ऐसा अभिनिर्धारित किया है कि

जब तक संघ के कानून और राज्य के कानून दोनों का पालन किया जा सकता है, तब तक राज्य का कानून संघ के कानून के प्रतिकूल नहीं हो जाता है, जब तक कि दोनों कानून बिना किसी संघर्ष के एक ही क्षेत्र में काम कर सकते हैं। डॉ. प्रीति के मामले में इस अदालत के फैसले के समर्थन में भारी निर्भरता रखी गई है।

श्रीवास्तव बनाम। एम. पी. राज्य [(1999) 7 एस. सी. सी. 120]।

7.3 आगे यह तर्क दिया जाता है कि एम. करुणानिधि के मामले में

( ), भारतीय दंड संहिता, 1860, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और आपराधिक कानून (संशोधन) अधिनियम, 1952 के केंद्रीय अधिनियमों के आलोक में तमिलनाडु लोक पुरुष (आपराधिक दुराचार) अधिनियम, 1973 के राज्य अधिनियम के संबंध में तिरस्कार के मुद्दे की जांच करते हुए और भारत के संविधान की सूची I, सूची II और समवर्ती सूची-सूची III और अनुच्छेद 254 में प्रासंगिक प्रविष्टियों पर विचार करने के बाद, यह माना जाता है कि जहां तक अनुच्छेद 254 के खंड (1) का संबंध है, यह स्पष्ट रूप से बताता है कि जहां राज्य द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान और समवर्ती सूची में सूचीबद्ध मामलों में से एक के संबंध में संसद द्वारा किए गए प्रावधान के बीच सीधा टकराव है।

यह प्रस्तुत किया जाता है कि आगे यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि जहां तक समवर्ती सूची का संबंध है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को उसमें दिखाई देने वाली किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह है - अनुच्छेद 254 (1) द्वारा निर्धारित शर्त के अधीन। यह प्रस्तुत किया जाता है कि उपरोक्त निर्णय में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि (1) जहां एक

समवर्ती सूची में केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम पूरी तरह से असंगत हैं और पूरी तरह से अपरिवर्तनीय हैं, केंद्रीय अधिनियम प्रबल होगा और राज्य अधिनियम प्रतिकूलता को देखते हुए शून्य हो जाएगा; (2) जहां,

यद्यपि राज्य द्वारा पारित कोई कानून समवर्ती सूची में प्रविष्टि पर संसद द्वारा पारित कानून के साथ टकराव में आता है, राज्य अधिनियम प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगा और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान अमान्य हो जाएंगे बशर्ते राज्य अधिनियम पश्चिम उत्तर प्रदेश में पारित किया गया हो।

अनुच्छेद 254 के खंड (2) के अनुसार; (3) जहां, राज्य विधानमंडल द्वारा पारित एक कानून, जबकि काफी हद तक इसके दायरे में है

राज्य सूची में प्रविष्टियाँ केंद्रीय सूची में किसी भी प्रविष्टि पर निहित करती हैं, यदि अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण पर यह प्रतीत होता है कि कानून मोटे तौर पर केंद्रीय सूची के चार कोनों के भीतर आता है, तो पीठ और सार के सिद्धांत को लागू करके कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा जा सकता है।

(4) जहां, तथापि, समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाई गई कोई विधि असंगत और असंगत है, वहां एक प्रविष्टि, यदि कोई हो, पूरी तरह से आकस्मिक या अप्रासंगिक है। संसद द्वारा बनाई गई पूर्व विधि, तब ऐसी विधि को संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके संरक्षित किया जा सकता है। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जहां तक राज्य अधिनियम का संबंध है, यह राज्य में प्रबल होगा और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को केवल राज्य पर लागू होने में ही निरस्त कर देगा। ऐसी स्थिति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद किसी भी समय अनुच्छेद 254 के परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को जोड़ने, या संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने का कानून नहीं बना सकती है।

7.4 यह प्रस्तुत किया जाता है कि इसलिए एम. करुणानिधि (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा निर्धारित कानून को लागू करते हुए

दूसरी ओर, यह स्पष्ट है कि वर्तमान मामले में, एक ओर आवश्यक वस्तु अधिनियम और 1966 के आदेश के रूप में, और दूसरी ओर 1953 के यू. पी. अधिनियम और 1954 के यू. पी. आदेश, दोनों के तहत अधिनियमित किए गए हैं -

समवर्ती सूची, और 1955 के आदेश के खंड 3 के तहत केंद्र सरकार द्वारा न्यूनतम मूल्य के निर्धारण और उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा उच्च एस. ए. पी. के निर्धारण के बीच कोई सीधा संघर्ष नहीं है, दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच इस हद तक कोई वास्तविक और अपरिवर्तनीय संघर्ष नहीं है कि आदेश का उल्लंघन किए बिना दोनों का पालन किया जा सके।

इसलिए, यह प्रस्तुत किया जाता है कि यू. पी. कॉप के मामले में इस न्यायालय का निर्णय। गन्ना संघ संघों (सुप्रा) को बरकरार रखा जाना चाहिए क्योंकि टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में निर्णय के साथ कोई टकराव नहीं है।

8. इस बात पर विचार करते हुए कि क्या कोई स्पष्ट संघर्ष है

टीका रामजी (सुप्रा) और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय की संविधान पीठ के निर्णयों के बीच। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) और क्या मामले को सात न्यायाधीशों की बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता है, विधायी इतिहास के साथ-साथ सूचियों और घटनाओं का कालक्रम जिसके कारण टीका रामजी (सुप्रा) और यू. पी. कूप के मामले में विवाद हुआ। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) और संबंधित प्रावधान जो इस न्यायालय [2020] 9 एस. सी. आर. के समक्ष विचार के लिए पड़े।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्टडी को संदर्भित किया जाना है, जो यू. पी. कॉप में उल्लिखित हैं। केन लरेशन (सुप्रा), निम्नानुसारः

8 अप्रैल, 1932 को तत्कालीन ब्रिटिश भारत में केंद्रीय विधानमंडल ने भारत में चीनी उद्योग को बढ़ावा देने और विकास प्रदान करने के लिए चीनी उद्योग (संरक्षण) अधिनियम, 1932 [1932 का अधिनियम 13] पारित किया। इसके कारण बड़ी संख्या में किसानों ने गन्ने की खेती शुरू की और एक आने वाले चीनी कारखानों की संख्या, विशेष रूप से

तब यू. पी. का प्रांत के हितों की रक्षा के लिए

गन्ना उत्पादकों के लिए और उन्हें उचित मूल्य का आश्वासन देने के उद्देश्य से, केंद्रीय विधानमंडल ने 1 मई, 1934 को गन्ना अधिनियम, 1934,1934 [1934 का अधिनियम 15] उस कीमत को विनियमित करें जिस पर गन्ने का इरादा था

चीनी का निर्माण या उसके लिए खरीदा जा सकता है

कारखाने। चूंकि, विभिन्न प्रांतों में गन्ना उगाया जाता था

और गन्ना अधिनियम, 1934 ने घोषणा छोड़ दी नियंत्रित क्षेत्रों और न्यूनतम मूल्य का निर्धारण

किसी भी नियंत्रित क्षेत्र में गन्ने की खरीद

प्रांतीय सरकारों का विवेकाधिकार, प्रांतीय

सरकारों को अधिनियम के उद्देश्यों को लागू करने के उद्देश्य से नियम बनाने का भी अधिकार दिया गया था। भारत सरकार अधिनियम, 1935 के परिणामस्वरूप, वहाँ

नतीजतन, 1934 के अधिनियम 15 का पूरा विषय प्रांतीय विधायी सूची के अंतर्गत आता है। यह महसूस किया गया कि 1934 का अधिनियम 15 पर्याप्त रूप से व्यापक नहीं था

चीनी उद्योग की समस्याओं से निपटना। द.

उत्तर प्रदेश और बिहार की सरकारों ने इसे लागू करने का निर्णय लिया दोनों प्रांतों में समान तर्ज पर कानून,

उनके बीच, उत्पादन में उनका योगदान लगभग 85 प्रतिशत था।

भारत में चीनी।

उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 10 फरवरी, 1938 को उत्तर प्रदेश चीनी कारखाने नियंत्रण अधिनियम, 1938 [1938 का उत्तर प्रदेश अधिनियम I] अधिनियमित किया। इस अधिनियम में (i) चीनी कारखानों को लाइसेंस देना, (ii) ऐसे कारखानों में उपयोग के लिए गन्ने की आपूर्ति का विनियमन, (iii) गन्ने के लिए न्यूनतम मूल्य, (iv)

चीनी नियंत्रण बोर्ड और सलाहकार टी. यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. की स्थापना।

वी. उत्तर प्रदेश और ओआरएस का भोजन। [एम. आर. शाह, जे.]

समिति, और (v) कारखानों में उपयोग के लिए गन्ने की बिक्री पर कर। हालाँकि यह अधिनियम शुरू में 30 जून, 1947 तक लागू रहना था, लेकिन इसका कार्यकाल समय-समय पर और अंत में 30 जून, 1952 तक बढ़ाया गया। समानांतर

इस अवधि के दौरान विकास द्वितीय विश्व युद्ध का प्रकोप और इसके लिए किए गए विधायी उपाय थे

आवश्यक वस्तुओं के उत्पादन, वितरण के विनियमन और आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए तत्कालीन भारत सरकार द्वारा स्थिति का सामना करना। डोमिनियन विधानमंडल ने प्रांतीय में उल्लिखित किसी भी मामले के संबंध में प्रांतों के लिए कानून बनाने की शक्ति प्राप्त कर ली।

विधायी सूची। भारतीय रक्षा अधिनियम के तहत, वर्ष 1942 में चीनी को एक नियंत्रित वस्तु बना दिया गया था और इसके उत्पादन और वितरण के साथ-साथ चीनी की कीमतों के निर्धारण को चीनी नियंत्रक द्वारा विनियमित किया गया था। द.

राज्यपाल द्वारा आपातकाल की घोषणा को निरस्त कर दिया गया था

1 अप्रैल 1946 को जनरल। साथ ही, प्रांतीय विधायी सूची के क्षेत्र में डोमिनियन विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून 30 सितंबर 1946 के बाद प्रभावी नहीं होने वाले थे।

26 मार्च 1946 को, ब्रिटिश संसद ने भारत (केंद्रीय सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 [9 और 10 Geo.6, अध्याय 39] अधिनियमित किया, जिसमें प्रावधान किया गया था कि,

भारत सरकार अधिनियम, 1935 में कुछ भी होने के बावजूद, भारतीय विधानमंडल को अधिनियम की धारा 4 में निर्दिष्ट अवधि के दौरान अन्य बातों के साथ-साथ "खाद्य पदार्थों" के संबंध में कानून बनाने की शक्ति होगी। हालाँकि धारा 4 में दी गई अवधि गवर्नर जनरल द्वारा आपातकाल की घोषणा की समाप्ति से एक वर्ष की थी, लेकिन इस अवधि को समय-समय पर बढ़ाया जाता था और

31 मार्च 1948 को समाप्त हुआ।

18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम पारित किया गया जिसके परिणामस्वरूप भारत (केंद्र सरकार और विधानमंडल) अधिनियम, 1946 जिसमें अनुकूलन के माध्यम से यह प्रावधान किया गया है कि डोमिनियन विधानमंडल की शक्तियां

संविधान सभा द्वारा प्रयोग किया गया। 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के साथ, अनुच्छेद 369 ने संसद को [2020] 9 एस. सी. आर. से 5 साल की अवधि के लिए शक्ति प्रदान की।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

कानून बनाने के लिए संविधान का प्रारंभ

कुछ मामलों के संबंध में मानो वे समवर्ती सूची में गिने गए हों। ऐसा ही एक मामला था "किसी राज्य के भीतर व्यापार और वाणिज्य, और खाद्य पदार्थों (खाद्य तेल के बीज और तेल सहित) का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण"।

7 अक्टूबर, 1950 को केंद्र सरकार ने अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए,

चीनी और गुड़ नियंत्रण आदेश, 1950 जारी किया गया, जिसने अन्य बातों के साथ-साथ इसे किसी भी क्षेत्र से गन्ने की आवाजाही को प्रतिबंधित करने का अधिकार दिया और यह भी निर्देश दिया कि गन्ने के नीचे और अंदर के हिस्से को छोड़कर किसी भी गुड़ या चीनी का उत्पादन नहीं किया जाना चाहिए।

उसके द्वारा जारी लाइसेंस के अनुसार। केंद्र सरकार को गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने का अधिकार भी दिया गया था और किसी भी व्यक्ति को उत्पादक को गन्ना बेचने या बेचने के लिए सहमत नहीं होना था और किसी भी उत्पादक को अधिसूचित मूल्य से कम कीमत पर गन्ना खरीदने या खरीदने के लिए सहमत नहीं होना था। गन्ने की कीमत तय करने की इस शक्ति का उपयोग केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचना जारी करके किया जाता था, जिसमें वैक्यूम पैन प्रक्रिया द्वारा चीनी के उत्पादक द्वारा भुगतान की जाने वाली न्यूनतम कीमत तय की जाती थी। बिहार राज्य में इसी तरह के उद्देश्यों के लिए 1937 का बिहार चीनी कारखाने नियंत्रण अधिनियम 7 अधिनियमित किया गया। खेतान समिति की सिफारिशों के परिणामस्वरूप, वर्ष 1938 में भारतीय शुल्क बोर्ड की रिपोर्ट और यू. पी. चीनी उद्योग जांच समिति, 1951

[स्वामीनाथन समिति], यह इच्छा थी कि 1938 के यू. पी. अधिनियम I में संशोधन किया जाए ताकि

गन्ने की आपूर्ति संभव है।

उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951 [1951 का अधिनियम 65] 8 मई 1952 से लागू किया गया था। इस अधिनियम के लागू होने के कारण, 1938 के यू. पी. अधिनियम I के कुछ प्रावधान निष्क्रिय हो गए। उत्तर प्रदेश विधानमंडल ने 29 जून, 1952 को उत्तर प्रदेश चीनी कारखाने नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम, 1952 पारित किया, जिसमें उन प्रावधानों को हटा दिया गया और संशोधित अधिनियम को स्थायी रूप से संविधि पुस्तिका में डाल दिया गया। 1938 का यू. पी. अधिनियम I, इस प्रकार संशोधित किया गया, तब तक लागू रहा जब तक कि इसे यू. पी. गन्ना टी. यू. पी. चीनी मिल संगठन और ओ. आर. एस. द्वारा निरस्त नहीं कर दिया गया।

वी. उत्तर प्रदेश के टी. ई. और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

अधिनियम, 1953। 1953 के अधिनियम के अधिनियमन का उद्देश्य इस प्रकार बताया गया हैः

" 8 मई 1952 से उद्योग (विकास और विनियमन अधिनियम, 1951) की घोषणा के साथ,

चीनी उद्योग का विनियमन बन गया है विशेष रूप से एक केंद्रीय विषय। राज्य सरकारें अब केवल चीनी कारखानों को गन्ने की आपूर्ति के बारे में चिंतित हैं। यह विधेयक कारखानों में गन्ने के तर्कसंगत वितरण, संगठित वैज्ञानिक आधार पर इसके विकास, गन्ना उत्पादकों और उद्योग के हितों की रक्षा करने और नए अधिनियम को स्थायी रूप से लागू करने के लिए पेश किया जा रहा है।

क़ानून पुस्तक "

अधिनियम की धारा 28 द्वारा प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश गन्ना नियम, 1954 बनाए और अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उत्तर प्रदेश गन्ना आदेश, 1954 को लागू किया।

धारा 3 (1) केंद्र सरकार को, यदि आवश्यक या समीचीन हो तो ऐसा करने के लिए "बनाए रखने या बनाए रखने के लिए" सशक्त बनाती है। किसी भी आवश्यक वस्तु की आपूर्ति में वृद्धि करना या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए, "[2020] एस. सी. आर. को विनियमित या प्रतिबंधित करने के लिए" प्रदान करने के आदेश द्वारा।

उसका उत्पादन, आपूर्ति और वितरण और उसमें व्यापार और वाणिज्य। धारा 3 की उप-धारा (2) के खंड (सी) के तहत, ऐसा आदेश उस कीमत को नियंत्रित करने के लिए प्रावधान कर सकता है जिस पर आवश्यक वस्तु खरीदी जा सकती है या

बेचा जाता है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार 27 अगस्त 1955 को जारी किया गया, चीनी नियंत्रण आदेश, 1955 और गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955। गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 का खंड 3 (ए) केंद्र सरकार को, उपयुक्त अधिकारियों के साथ परामर्श करने के बाद, किसी भी क्षेत्र के संबंध में गन्ने के लिए चीनी उत्पादक द्वारा भुगतान की जाने वाली 'कीमत या न्यूनतम कीमत' तय करने का अधिकार देता है।

उस क्षेत्र में उसके द्वारा खरीदा गया। यह विभिन्न क्षेत्रों या गन्ने के विभिन्न गुणों के लिए या गन्ने से चीनी की वसूली के आधार पर विभिन्न कारकों को ध्यान में रखते हुए अलग-अलग कीमतों को निर्धारित करने का भी अधिकार देता है। खंड 3 (2) में प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति नहीं बेचेगा या

चीनी या कारखाने के उत्पादक को गन्ना बेचने के लिए सहमत होना और कोई भी उत्पादक या कारखाना निम्नलिखित अधिसूचित मूल्य से कम पर गन्ना खरीदने या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा। यह खंड। खंड (4) केंद्र सरकार को विभिन्न कारखानों को आपूर्ति के लिए किसी भी क्षेत्र से गन्ने के निर्यात को प्रतिबंधित या विनियमित करने या अन्यथा विनियमित करने का अधिकार देता है।

और यह भी निर्देश देना कि गन्ने से किसी भी गुड़ या चीनी का निर्माण नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तें। खंड (5) प्रत्येक उत्पादक या कारखाने से इसका पालन करने की अपेक्षा करता है -

आदेश के तहत दिए गए निर्देश। इस आदेश के खंड (7) द्वारा चीनी और गुड़ नियंत्रण आदेश, 1950 को निरस्त कर दिया गया था।

16 जुलाई, 1966 को केंद्र सरकार ने गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 को अधिसूचित किया। खंड 2 (छ) परिभाषित करता है

" "मूल्य" का अर्थ केंद्र सरकार द्वारा समय-समय पर गन्ने के लिए निर्धारित मूल्य या न्यूनतम मूल्य है।

अन्य बातों के साथ-साथ एक चीनी कारखाने को वितरित किया गया। खंड 3 और 3-एक भालू प्रजनन और इस प्रकार पढ़ेः

" 3 : द्वारा देय गन्ने का न्यूनतम मूल्य

चीनी का उत्पादक-(1) केंद्र सरकार, ई. एस. टी. यू. पी. चीनी मिल एसोसिएशन और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

(बी) वैकल्पिक फसलों से उत्पादक को वापसी और कृषि वस्तुओं की कीमतों की सामान्य प्रवृत्ति; (ग) मेले में उपभोक्ता को चीनी की उपलब्धता

कीमत;

चीनी के उत्पादकों द्वारा बेचा जाता है; और (ई) गन्ने से चीनी की वसूलीः

बशर्ते कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के अनुमोदन से राज्य सरकार, ऐसी परिस्थितियों में और ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए, जो खंड 3-ए में निर्दिष्ट हैं, इस प्रकार निर्धारित मूल्य में उपयुक्त छूट की अनुमति दे सकती है।] व्याख्या-(1) गन्ने के विभिन्न क्षेत्रों या विभिन्न गुणों या किस्मों के लिए अलग-अलग मूल्य निर्धारित किए जा सकते हैं। (2) कोई भी व्यक्ति चीनी के उत्पादक या उसके प्रतिनिधि को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा और ऐसा कोई भी उत्पादक या प्रतिनिधि उससे कम कीमत पर गन्ना नहीं खरीदेगा या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा।

उपखंड (1) के तहत तय किया गया। (3) जहाँ चीनी का उत्पादक

गन्ने के उत्पादक से या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति से कोई भी गन्ना खरीदते समय, उत्पादक, जब तक कि पक्षों के बीच इसके विपरीत कोई लिखित समझौता न हो, विक्रेता को गन्ने की डिलीवरी की तारीख से चौदह दिनों के भीतर भुगतान करेगा या उसे गन्ने की कीमत का भुगतान करेगा।

गन्ना उत्पादक और गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी के बीच सहमत दर पर बेचा गया गन्ना सोसायटी या जो, यथास्थिति, उपखंड (1) के तहत तय की गई हो, या तो कारखाने के द्वार पर या गन्ना संग्रह केंद्र में या विक्रेता या सहकारी समिति के बैंक खाते में आवश्यक राशि हस्तांतरित या जमा करें।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

[उप. जी. एस. आर. 945 द्वारा, दिनांक 18.5.1968] (3-ए)। यदि चीनी का कोई उत्पादक या उसका एजेंट डिलीवरी की तारीख के 14 दिनों के भीतर खरीदे गए गन्ने का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह 14 दिनों से अधिक की ऐसी देरी की अवधि के लिए 15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से देय राशि पर ब्याज का भुगतान करेगा। जहां गन्ना उत्पादकों की सोसायटी को विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान किया जाता है, तो सोसाइटी प्रशासनिक कटौती के बाद संबंधित गन्ना उत्पादकों को ब्याज देगी।

उक्त सोसायटी के नियमों द्वारा अनुमत शुल्क, यदि कोई हो। [इंस. जी. एस. आर. 62 (ई) दिनांक 2.2.1978] द्वारा।

(4) जहां किसी अभिकर्ता के माध्यम से गन्ना खरीदा जाता है, वहां उत्पादक या अभिकर्ता उक्त अवधि के भीतर और तरीके से ऐसी कीमत का भुगतान या निविदा भुगतान करेगा और यदि उनमें से किसी ने भी इस तरह से भुगतान या निविदा भुगतान नहीं किया है, तो उनमें से प्रत्येक को इस खंड के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाला माना जाएगा। (5) कारखाने के द्वार पर या गन्ना संग्रह केंद्र में भुगतान के समय, खरीदार द्वारा दी गई रसीदें, यदि कोई हों, तो गन्ना उत्पादक या सहकारी द्वारा सौंप दी जाएंगी।

समाज। (6) जहां विक्रेता या सहकारी समिति के बैंक खाते में राशि का हस्तांतरण या जमा करके भुगतान किया गया है, खरीदार द्वारा उत्पादक या सहकारी समिति को दी गई रसीद, यदि कोई हो, यदि खरीदार को वापस नहीं की जाती है, तो अमान्य हो जाएगी। (7) यदि चीनी वर्ष के अंतिम दिन गन्ने की कीमत का भुगतान नहीं किया जाता है, जिसमें गन्ने की आपूर्ति की गई थी। गन्ने के आपूर्तिकर्ताओं के अपने दावों के साथ आगे नहीं आने के कारण या किसी अन्य कारण से, इसे चीनी उत्पादक द्वारा गन्ने के कलेक्टर के पास जमा किया जाएगा।

चीनी वर्ष समाप्त होने के तीन महीने के भीतर जिस जिले में कारखाना स्थित है। कलेक्टर, इस प्रकार जमा की गई राशि में से, सभी दावों का भुगतान करेगा, जो उसके द्वारा देय माने जाते हैं और उसके समक्ष चीनी वर्ष के अंत के तीन वर्षों के भीतर पेश किए जाते हैं, जिसमें कारखाने को गन्ने की आपूर्ति की गई थी। आपूर्तिकर्ताओं के दावों को पूरा करने के बाद, कलेक्टर के पास अभी भी वितरित नहीं की गई राशि, उसके द्वारा 3 साल की समय सीमा समाप्त होने के तुरंत बाद राज्य की समेकित निधि में जमा की जाएगी, जिसके भीतर आपूर्तिकर्ताओं द्वारा दावे किए जा सकते हैं।

राज्य सरकार ई. एस. टी. यू. पी. शुगर मिल एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

जहां तक संभव हो, ऐसी राशियों का उपयोग राज्य में गन्ने के विकास के लिए किया जाएगा।

3 - ए. छूट जिसे गन्ने के लिए भुगतान की गई कीमत से काटा जा सकता है-चीनी का एक उत्पादक या उसका एजेंट, उसके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए, गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को, या तो न्यूनतम भुगतान करेगा।

खंड 3 के तहत निर्धारित गन्ने की कीमत, या उत्पादक या उसके एजेंट और गन्ना उत्पादक के बीच सहमत कीमत या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति, जैसा भी मामला हो (इसके बाद सहमत मूल्य के रूप में संदर्भित) * * * [इन्स। जी. एस. आर. 815 (ई) दिनांक 24.9.1976] द्वारा

खंड 4 केंद्र सरकार या राज्य सरकार को केंद्र की सहमति से अधिकार देता है।

सरकार ", गन्ने का न्यूनतम मूल्य या मूल्य तय करने के लिए

खंडसारी चीनी के उत्पादकों द्वारा उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए इस परंतुक के साथ भुगतान किया जाना कि

खंड (4) "के अधीन नियत किया गया। खंड 5-ए में प्रावधान है कि जहां चीनी का उत्पादक खरीदता है

गन्ना, प्रत्येक चीनी वर्ष के दौरान एक गन्ना उत्पादक से, वह न्यूनतम गन्ने के अलावा भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

खंड 3 के तहत निर्धारित मूल्य, एक अतिरिक्त मूल्य, यदि आदेश की दूसरी अनुसूची में उल्लिखित सूत्र के अनुसार देय पाया जाता है।

खंड 5-ए के उपखंड (2) के तहत, एक उपयुक्त प्राधिकारी

उपखंड (1) के तहत देय अतिरिक्त मूल्य निर्धारित करने के लिए अधिकृत किया जा सकता है जो चीनी उत्पादक और गन्ना उत्पादक को लिखित रूप में सूचित करेगा। उपखंड (4) के तहत, अतिरिक्त मूल्य के भुगतान का तरीका केंद्र सरकार के निर्देशानुसार निर्धारित किया जा सकता है।

या राज्य सरकार, समय-समय पर।

कि, "इस प्रकार भुगतान की गई कीमत कुल कीमत से कम नहीं है जिसमें खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य शामिल है और उपखंड (2) या उपखंड (3) के तहत निर्धारित अतिरिक्त मूल्य। ”

उपखंड (6) के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी भी अतिरिक्त मूल्य का भुगतान किया जाए।

खंड 6 केंद्र सरकार को निम्नलिखित अधिकार देता हैः (i) आरक्षित क्षेत्र जहाँ गन्ने की खेती की जाती है, वह गन्ने की मात्रा निर्धारित करने के लिए जो किसी कारखाने को किसी भी वर्ष के दौरान पेराई के लिए आवश्यक होगी; (ii) आम तौर पर किसी आरक्षित क्षेत्र में किसी भी निर्दिष्ट गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक के संबंध में, गन्ने की मात्रा या प्रतिशत तय करना जो वह स्वयं या एक सदस्य के रूप में करता है। ऐसे क्षेत्र में काम करने वाले गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति, संबंधित कारखाने को आपूर्ति करेगी; (iii) किसी कारखाने और संबंधित कारखाने को गन्ने की आपूर्ति करने वाली गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति को निर्धारित मात्रा में गन्ने की आपूर्ति या खरीद के लिए समझौता करने का निर्देश देगी; (iv) निर्देश देगी कि गन्ने से कोई गुड़ या खंडसरी चीनी का उत्पादन नहीं किया जाएगा, सिवाय इसके कि

लाइसेंस में निर्दिष्ट शर्तों के अनुसार; और (v) किसी भी क्षेत्र (आरक्षित क्षेत्र सहित) से गन्ने के निर्यात को "प्रतिबंधित या प्रतिबंधित या अन्यथा विनियमित" करना।

उसकी ओर से जारी परमिट के तहत और उसके अनुसार। उपखंड (2) प्रत्येक गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और कारखाने, जिन्हें उपखंड (1) के तहत आदेश जारी किया गया है, पर पश्चिम उत्तर प्रदेश चीनी मिल संघ और ओ. आर. एस. की आपूर्ति या खरीद करना अनिवार्य बनाता है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

समझौते में शामिल गन्ने की मात्रा। गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और कारखाने की ओर से ऐसा करने में कोई भी जानबूझकर विफलता, आदेश के प्रावधानों का उल्लंघन है।

खंड 11 के तहत, आदेश के तहत शक्तियां, निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, एक अधिकारी द्वारा भी प्रयोग की जाएंगी या केंद्र सरकार और राज्य सरकार या राज्य सरकार के किसी अधिकारी या प्राधिकरण का अधिकार।

8.1 1953 के अधिनियम की धारा 16 के प्रावधान इस प्रकार हैं:

16. आरक्षित और निर्दिष्ट क्षेत्रों में गन्ने की खरीद और आपूर्ति का विनियमन (1) राज्य सरकार आपूर्ति बनाए रखने के लिए आदेश द्वारा विनियमन कर सकती है।

(क) किसी भी आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में किसी भी मामले का वितरण, बिक्री या खरीद; और

(ख) आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में गन्ना की खरीद क्षेत्र।

((ख) जिस तरीके से आरक्षित क्षेत्र या निर्दिष्ट क्षेत्र में उगाया जाने वाला गन्ना उस कारखाने द्वारा खरीदा जाएगा जिसके लिए - क्षेत्र इस प्रकार आरक्षित या निर्दिष्ट किया गया है और ऐसी परिस्थिति जिसमें एक गन्ना उत्पादक द्वारा उगाया गया गन्ना एक गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के माध्यम से खरीदे बिना नहीं खरीदा जाएगा;

(ग) समझौते के रूप और नियम और शर्तें उस कारखाने के अधिभोगकर्ता या प्रबंधक द्वारा निष्पादित किया जाता है जिसके लिए एक क्षेत्र आरक्षित है या बिक्री के लिए पेश किए गए बेंत की खरीद के लिए सौंपा गया है;

((घ) जिन परिस्थितियों में अनुमति दी जा सकती है।

(i) किसी (1964 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV द्वारा प्रतिस्थापित) अन्य (2020) 9 एस. सी. आर. द्वारा आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में उगाए गए गन्ने की खरीद के लिए।

उस कारखाने की तुलना में जिसके लिए क्षेत्र आरक्षित या आवंटित किया गया है;

और

((ii) किसी आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में उगाए गए गन्ने की बिक्री के लिए किसी [गुड़, रब या खंडसरी विनिर्माण इकाई या किसी व्यक्ति को। (1964 के उत्तर प्रदेश अधिनियम IV द्वारा प्रतिस्थापित) उस कारखाने के अलावा जिसके लिए क्षेत्र आरक्षित या सौंपा गया है;

(ई) ऐसे आनुषंगिक और परिणामी मामले जो प्रतीत हो सकते हैं इस उद्देश्य के लिए आवश्यक या वांछनीय हो।

9. इस प्रकार, विधायी इतिहास और आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1953 के प्रासंगिक प्रावधानों से यू. पी. अधिनियम, 1954 यू. पी. आदेश, 1955 आदेश, 1966 आदेश जो टीका रामजी (सुप्रा) और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए गिर गया। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), ऐसा प्रतीत होता है कि इस प्रकार कानून और प्रासंगिक प्रावधानों में भारी बदलाव हुआ है जिन्हें संक्षेप में नीचे दिया जा सकता हैः

ए। कि, केंद्र सरकार ने 1955 को निरस्त और प्रतिस्थापित किया

1966 के आदेश द्वारा आदेश;

बी। कि, आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3 के तहत जारी 1966 के आदेश में, "मूल्य और न्यूनतम" शब्द से

"मूल्य", "मूल्य" शब्द हटा दिया गया और "न्यूनतम मूल्य" तय करने की शक्ति बरकरार रखी गई।

सी। 1955 के आदेश के खंड 3 ने केंद्र सरकार को अपने द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए चीनी उत्पादक द्वारा भुगतान की जाने वाली "कीमत" या "न्यूनतम कीमत" तय करने का अधिकार दिया। हालांकि, 1955 का आदेश

1966 के आदेश और 1966 के आदेश के खंड 3 द्वारा निरस्त किया गया था जिसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार तय कर सकती है

“ चीनी के उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली गन्ने की न्यूनतम कीमत;

डी। कि, 1966 के आदेश में 1976 और 1978 में और संशोधन किया गया और खंड 3 (3) और 3-ए पेश किया गया जो

अब "सहमत मूल्य" पर विचार करता है;

9.1 1955 के आदेश के खंड 3 पर विचार करते हुए जिसके द्वारा

केंद्र सरकार को "मूल्य" या "न्यूनतम मूल्य" तय करने का अधिकार था जो टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए गिर गया था और जब भी इस न्यायालय द्वारा टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में निर्णय लिया गया था, तब भी राज्य द्वारा कोई मूल्य निर्धारित नहीं किया गया था और/या निर्धारित नहीं किया गया था और इसलिए, यह महसूस करने के बाद कि पश्चिम उत्तर प्रदेश में कोई प्रतिकूलता नहीं है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

और/या संघर्ष, टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में इस न्यायालय ने इस तरह से तिरस्कार के प्रश्न में प्रवेश नहीं किया। इसलिए, टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में, इस न्यायालय ने 1955 के आदेश के खंड 3 पर विचार किया, जो विशेष रूप से केंद्र सरकार को यह तय करने का अधिकार देता है - " मूल्य या न्यूनतम मूल्य "और यह भी माना कि राज्य सरकार ने मूल्य निर्धारित करके शक्ति का प्रयोग नहीं किया है और इसलिए, संघर्ष का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता है। हालाँकि, यू. पी. कॉप के मामले में। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा), यह न्यायालय कानून में बाद के परिवर्तन पर विचार कर रहा था, विशेष रूप से 1966 के आदेश और अधिनियम के खंड 3 पर।

1966 1966 के आदेश के आदेश और अन्य प्रासंगिक खंड।

10. टीका रामजी (सुप्रा) के मामले में और यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय द्वारा दर्ज प्रासंगिक टिप्पणियाँ और निष्कर्ष। केन यूनियन फेडरेशन (सुप्रा) निम्नानुसार हैं:

10.1

विशिष्टताएँ और उद्देश्य

टीका रामजी का मामला

..... अतः यह स्पष्ट है कि सभी अधिनियम और

केंद्र द्वारा इसके तहत जारी अधिसूचनाएँ

चीनी और गन्ने के संबंध में अधिनियम बनाए गए थे

समवर्ती अधिकारिता का प्रयोग। इस तरह के समवर्ती अधिकार क्षेत्र का प्रयोग प्रांतीय विधानमंडलों को प्रांतीय विधायी सूची के तहत समान शक्तियों से वंचित नहीं करेगा और इसलिए, प्रांतीय विधानमंडलों की विधायी अक्षमता का कोई सवाल ही नहीं होगा।

उत्तरार्द्ध द्वारा अधिनियमित कानून। प्रांतीय विधानमंडलों के साथ-साथ केंद्रीय विधानमंडल भी इस तरह के कानून बनाने में सक्षम होंगे और विधायी क्षमता का कोई सवाल ही नहीं उठेगा। यह एक आवश्यक परिणाम के रूप में भी है कि, भले ही चीनी उद्योग एक नियंत्रित उद्योग था, केंद्र द्वारा अधिनियमित इनमें से कोई भी अधिनियम सूची I की प्रविष्टि 52 के तहत अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग नहीं कर रहा था। (1) कच्चा माल जो औद्योगिक प्रक्रिया का एक अभिन्न अंग है, (2) निर्माण या उत्पादन की प्रक्रिया, और

(3) उद्योग के उत्पादों का वितरण। कच्चा माल ऐसी वस्तुएँ होंगी जिनमें

सूची II की प्रविष्टि 27। निर्माण की प्रक्रिया या [2020] 9 एस. सी. आर.

उत्पादन को सूची II की प्रविष्टि 24 में शामिल किया जाएगा, सिवाय इसके कि जहां उद्योग एक नियंत्रित उद्योग था, जब यह सूची I की प्रविष्टि 52 और उद्योग के उत्पादों के अंतर्गत आता था।

सूची II की प्रविष्टि 27 में भी शामिल किया जाएगा, सिवाय इसके कि वे नियंत्रित उद्योगों के उत्पाद थे जब

वे सूची III की प्रविष्टि 33 के अंतर्गत आते हैं। यह स्थिति होने के कारण, यह नहीं कहा जा सकता है कि चीनी और गन्ने के संबंध में केंद्र द्वारा अधिनियमित कानून सूची I की प्रविष्टि 52 के अंतर्गत आ सकता है।

चीनी उद्योग एक नियंत्रित उद्योग बन गया, चीनी और गन्ना दोनों सूची II की प्रविष्टि 27 के भीतर आ गए, लेकिन इसके बाद

1951 के अधिनियम एल. एक्स. वी. द्वारा संसद द्वारा 1951 में घोषणा की गई थी कि चीनी उद्योग एक नियंत्रित उद्योग और उस उद्योग का उत्पाद बन गया। , चीनी में शामिल था सूची III की प्रविष्टि 33 इसे सूची II की प्रविष्टि 27 से बाहर निकालती है। फिर भी, केंद्र के साथ-साथ प्रांतीय विधानमंडलों के पास इस संबंध में समवर्ती अधिकार क्षेत्र था। चीनी और गन्ने के संबंध में कानून को किसी भी स्थिति में सूची 1 की प्रविष्टि 52 में शामिल नहीं किया जा सकता था। सार और सार तर्क को भी यहाँ इस सरल कारण से नहीं जोड़ा जा सकता है कि जब केंद्र और राज्य दोनों विधान मंडल समवर्ती क्षेत्र में काम कर रहे थे, तो सूची 1 की प्रविष्टि 52 के तहत केंद्र में निहित अनन्य अधिकार क्षेत्र पर किसी भी अतिक्रमण का कोई सवाल ही नहीं था, केवल एक सवाल जो बचा रहा कि क्या केंद्र और राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित दोनों विधानों को एक साथ रखते हुए, कोई प्रतिकूलता थी, एक विवाद जिसे बाद में निपटाया जाएगा।

चीनी को केंद्र के अनन्य अधिकार क्षेत्र में लाना इस प्रकार केंद्र द्वारा कब्जा किए गए क्षेत्र पर उत्तर प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा अतिक्रमण के संबंध में सभी तर्कों को समाप्त कर दिया जाता है। 1938 के यू. पी. अधिनियम I ने एक चीनी नियंत्रण बोर्ड, शुगर टी. यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. की स्थापना के लिए प्रावधान किया।

वी. उत्तर प्रदेश के टी. ई. और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

आयुक्त, चीनी आयोग और गन्ना आयुक्त। विवादित अधिनियम में गन्ना बोर्ड की स्थापना का प्रावधान था। चीनी

आयुक्त को इस रूप में नामित किया गया था, लेकिन नियम 106 और 107 के तहत उनके कार्य ऐसी जानकारी प्राप्त करने तक सीमित थे जिससे चीनी कारखानों में उपयोग के लिए आवश्यक गन्ने की आपूर्ति और खरीद का विनियमन होगा और इसका कारखानों में उत्पादित चीनी के उत्पादन या निपटान से कोई लेना-देना नहीं था। चीनी आयोग

के लिए प्रदान नहीं किया गया था लेकिन केन आयुक्त था

प्राधिकरण ने गन्ने की आपूर्ति और खरीद के संबंध में सभी शक्तियों का निवेश किया। 1938 के यू. पी. अधिनियम I के तहत नियुक्त निरीक्षकों के पास कारखानों में रखे गए रिकॉर्ड की जांच करने की कोई संदेह नहीं था, जिसमें खरीदे गए और कुचले गए गन्ने की मात्रा दिखाई गई थी, लेकिन वे चीनी के उत्पादन या निर्माण की जांच करने के उद्देश्य से वहां थे, जबकि विवादित अधिनियम के तहत नियुक्त निरीक्षक नियम 20 के अनुसार, अपनी गतिविधियों को गन्ने की आपूर्ति और खरीद के विनियमन तक सीमित रखने के लिए थे।

चीनी के निर्माण या उत्पादन की आगे की प्रक्रिया से संबंधित कुछ भी। 1938 के उत्तर प्रदेश अधिनियम I का अध्याय 3, चीनी कारखानों के निर्माण और विस्तार, गन्ने को कुचलने के लिए कारखानों को लाइसेंस देना, फिक्सिंग

केंद्र द्वारा 1946 के अधिनियम XXIV की धारा 3 के तहत चीनी नियंत्रण आदेश, 1950 जारी करके इसका प्रयोग किया गया था। यहां तक कि 1938 के उत्तर प्रदेश अधिनियम I के अध्याय V के तहत गन्ने के न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने के लिए राज्य सरकार को आरक्षित शक्ति को भी विवादित अधिनियम से हटा दिया गया था, जिसका उपयोग केंद्र द्वारा 1946 के अधिनियम XXIV की धारा 3 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी और गुड़ नियंत्रण आदेश, 1950 के खंड 3 के तहत किया जा रहा था। केंद्र द्वारा निर्धारित मूल्यों को राज्य सरकार द्वारा अपनाया गया था और नियम 94 के तहत राज्य सरकार को केवल एक ही चीज की आवश्यकता थी कि वह कारखाने का अधिभोगकर्ता या [2020] 9 एस. सी. आर. हो।

जेपीआरईएमई अदालत की रिपोर्ट

क्रय अभिकर्ता को प्रत्येक क्रय केंद्र पर एक सूचना रखनी चाहिए जिसमें सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की न्यूनतम कीमत दर्शाई जाए, जिसका अर्थ है केंद्र। राज्य सरकार ने इन कीमतों को भी शामिल किया, जिन्हें केंद्र द्वारा समय-समय पर समझौतों के रूप में अधिसूचित किया जाता था, जो दोनों देशों के बीच किए जाने थे।

गन्ना उत्पादक, गन्ना उत्पादक सहकारी समितियाँ, कारखाने और आपूर्ति के लिए उनके क्रय एजेंट और

यू. पी. गन्ना आपूर्ति और खरीद आदेश, 1954 में प्रदान किए गए गन्ने की खरीद। गन्ना उत्पादकों के संरक्षण के लिए विवादित अधिनियम में राज्य सरकार द्वारा जो एकमात्र प्रावधान रखा गया था, वह यह था कि धारा 17 में निहित है जिसमें कारखाने के अधिभोगियों द्वारा गन्ना उत्पादकों को गन्ने की कीमत का भुगतान करने का प्रावधान है। इसे इस तरह से बरामद किया जा सकता है

कब्जाधारी मानो भूमि राजस्व का बकाया हो। इस तुलना से पता चलता है कि विवादित अधिनियम केवल चीनी कारखानों में उपयोग के लिए आवश्यक गन्ने की आपूर्ति और खरीद के विनियमन तक ही सीमित था और ऐसा नहीं था

इसका संबंध चीनी कारखानों के नियंत्रण या अनुज्ञप्ति, चीनी के उत्पादन या निर्माण या व्यापार और वाणिज्य और चीनी के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण से है। यदि ऐसा था, तो चीनी उद्योग, जो सूची I की प्रविष्टि 52 के भीतर एक नियंत्रित उद्योग था, के संबंध में केंद्र के अधिकार क्षेत्र में उसके हस्तक्षेप का कोई सवाल ही नहीं था और यू. पी. विधानमंडल के पास गन्ने के संबंध में कानून बनाने का अधिकार क्षेत्र था और विवादित अधिनियम को लागू करने के लिए विधायी क्षमता थी।

1951 का अधिनियम और 1955 का अधिनियम X जिसके द्वारा अधिनियमित किया गया था संसद और इसलिए, संसद द्वारा बनाए गए कानून को प्रबल होना चाहिए और विवादित अधिनियम, तिरस्कार की सीमा तक, शून्य होना चाहिए। इससे निपटने से पहले

यह तर्क कि "तिरस्कार" शब्द के सटीक अर्थ को परिभाषित करके आधार को स्पष्ट करना आवश्यक है।

संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून टी. यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ओ. आर. एस. द्वारा बनाए गए कानून पर विचार किया जाता है।

वी. उत्तर प्रदेश के टी. ई. और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

एक ही क्षेत्र पर कब्जा करते हैं क्योंकि, यदि ये दोनों टुकड़े

कानून अलग-अलग और विशिष्ट मामलों से संबंधित है, हालांकि एक संज्ञानात्मक और संबद्ध चरित्र की, घृणा उत्पन्न नहीं होती है।

..... हम यहाँ तिरस्कार के बारे में चिंतित हैं, यदि कोई हो,

संसद और राज्य दोनों के कारण उत्पन्न होना

विधानमंडल ने उसी क्षेत्र में कार्य किया है समवर्ती सूची में गिना गया एक मामला, अर्थात खाद्य पदार्थ

यह सूची III की प्रविष्टि 33 में शामिल है।

" ..... जी. पी. स्टीवर्ट बनाम में कलकत्ता उच्च न्यायालय। बी. के रॉय

चौधरी के पास इसके अर्थ पर विचार करने का अवसर था

तिरस्कार और बी. एन. राउ, जे. जिन्होंने फैसला सुनाया न्यायालय ने पृष्ठ 632 पर टिप्पणी की:

" कभी-कभी यह कहा जाता है कि दो कानूनों को नहीं कहा जा सकता है

देखें, यदि दोनों कानूनों का पालन करना संभव है। जिन कारणों का हम वर्तमान में उल्लेख करेंगे, हम सोचते हैं कि यह बहुत संकीर्ण परीक्षा हैः घृणा के ऐसे मामले हो सकते हैं जहाँ दोनों कानून अलग-अलग तरीकों से "मत करो" कहते हैं। उदाहरण के लिए, एक कानून कह सकता है, "कोई भी व्यक्ति खुदरा रूप से शराब नहीं बेचेगा, यानी एक बार में पांच गैलन से कम मात्रा में" और दूसरा कानून कह सकता है, "कोई भी व्यक्ति शराब नहीं बेचेगा। खुदरा रूप से शराब, यानी एक बार में दस गैलन से कम मात्रा में। यहाँ, दोनों कानूनों का पालन करना स्पष्ट रूप से संभव है, दोनों में से अधिक कठोर, अर्थात् दूसरे का पालन करके; फिर भी यह समान रूप से स्पष्ट है कि दोनों कानून प्रतिकूल हैं, जिस हद तक एक नागरिक

उनमें से एक का पालन करने के लिए मजबूर है, दूसरा, हालांकि नहीं

वास्तव में अवज्ञा की जाती है, रद्द कर दी जाती है "।

अर्जित न्यायाधीश ने तब विभिन्न प्राधिकरणों पर चर्चा की जो ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और इंग्लैंड में तिरस्कार का परीक्षण करते हैं और पृष्ठ 634:

" इसलिए कनाडाई मामलों की तरह अंग्रेजी मामलों से निकाला जा सकने वाला सिद्धांत वही प्रतीत होता है जो इसाक, जे. द्वारा ऑस्ट्रेलियाई 44 घंटे के मामले (37 सी. एल. आर. 466) में प्रतिपादित किया गया था, यदि प्रमुख कानून में स्पष्ट रूप से [2020] 9 एस. सी. आर. है।

या निहित रूप से पूरे क्षेत्र को कवर करने के अपने इरादे को स्पष्ट करता है, तो उसी क्षेत्र में एक अधीनस्थ कानून अप्रिय है।

और इसलिए निष्क्रिय। किसी दिए गए मामले में क्या और किस हद तक, प्रमुख कानून इस तरह के इरादे को दर्शाता है, यह अनिवार्य रूप से भाषा पर निर्भर करना चाहिए

विशेष कानून "।

..... तत्काल मामले में, संसद द्वारा अधिनियमित अधिनियमों की वास्तविक शर्तों में किसी भी विसंगति का कोई सवाल ही नहीं है और

विवादित अधिनियम। केवल यही सवाल उठते हैं कि क्या संसद और राज्य विधानमंडल ने एक ही विषय-वस्तु पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करने की कोशिश की या क्या कानून बनाए गए हैं।

संसद द्वारा एक पूर्ण संपूर्ण संहिता होने का इरादा था या, दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से पूरे क्षेत्र को कवर करने का इरादा व्यक्त किया गया था।

‘ ..... 1955 का अधिनियम X आवश्यक की परिभाषा के भीतर शामिल है।

जिन खाद्य पदार्थों को हमने ऊपर देखा है, उनमें चीनी के साथ-साथ गन्ना भी शामिल होगा। यह अधिनियम संसद द्वारा अधिनियमित किया गया था

संविधान तृतीय संशोधन अधिनियम, 1954 द्वारा संशोधित सूची तृतीय की प्रविष्टि 33 के तहत समवर्ती विधायी शक्ति का प्रयोग करते हुए। वहाँ खाद्य फसलों को गन्ने की फसलों को शामिल करने के रूप में परिभाषित किया गया था और धारा 3 (1) ने केंद्र सरकार को आवश्यक फसलों के उत्पादन, आपूर्ति और वितरण को नियंत्रित करने की शक्तियाँ दी थीं।

जिंसों और उनमें व्यापार और वाणिज्य की आपूर्ति को बनाए रखने या बढ़ाने के लिए या उचित मूल्यों पर उनके समान वितरण और उपलब्धता को सुरक्षित करने के लिए। धारा 3 (2) (बी) ने केंद्र सरकार को अन्य बातों के साथ-साथ किसी भी अपशिष्ट या कृषि योग्य भूमि, चाहे वह किसी भवन के लिए उपयुक्त हो या उस पर खाद्य फसलें उगाने के लिए नहीं, को खेती के दायरे में लाने का अधिकार दिया है।

आम तौर पर या निर्दिष्ट खाद्य फसलें और धारा 3 (2) (सी) केंद्र सरकार को उस कीमत को नियंत्रित करने की शक्ति देती है जिस पर किसी भी आवश्यक वस्तु को खरीदा या बेचा जा सकता है। ये प्रावधान निश्चित रूप से केंद्रीय कानून के दायरे में गन्ने के उत्पादन के विनियमन के साथ-साथ उस कीमत पर नियंत्रण लाएंगे जिस पर गन्ने को खरीदा या बेचा जा सकता है, और इसके अलावा

चीनी नियंत्रण आदेश, 1955 जो केंद्र सरकार द्वारा 27 अगस्त, 1955 को जारी किया गया था, उसने गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 भी जारी किया, उसी तारीख को इसे गन्ने की कीमत तय करने और उसके सीधे भुगतान के साथ-साथ गन्ने की आवाजाही को विनियमित करने की शक्ति के साथ निवेश किया। पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

" ..... संसद गन्ने के संबंध में कानून बनाने में अपनी शक्तियों के भीतर थी और केंद्र सरकार भी गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 जारी करने में अपनी शक्तियों के भीतर थी क्योंकि यह सब सूची III की प्रविष्टि 33 के तहत कानून की समवर्ती शक्ति का प्रयोग था। हालाँकि, इसने गन्ने के संबंध में कानून बनाने के लिए यू. पी. राज्य विधानमंडल की विधायी क्षमता को प्रभावित नहीं किया और एकमात्र सवाल जो

इस बात पर विचार किया जाना बाकी था कि क्या केंद्रीय प्रावधानों के बीच कोई प्रतिकूलता थी

इस संबंध में विधान और यू. पी. राज्य विधान। जैसा कि हमने ऊपर उल्लेख किया है, यू. पी. राज्य सरकार। के लिए न्यूनतम कीमतों के निर्धारण के लिए बिल्कुल भी प्रावधान नहीं किया

न ही इसने गन्ने की आवाजाही के विनियमन के लिए प्रावधान किया जैसा कि केंद्र सरकार द्वारा किया गया था

गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 के खंड (3) और (4)। विवादित अधिनियम में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं किया गया था और गन्ने की कीमत के संबंध में एकमात्र प्रावधान जो यू. पी. गन्ना नियम, 1954 में पाया जाना था, नियम 94 में निहित था जिसमें प्रावधान किया गया था कि सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की न्यूनतम कीमत और केंद्र द्वारा जिस दर पर गन्ना खरीदा जा रहा है, उसे दर्शाते हुए स्पष्ट बोल्ड लाइनों में उपयुक्त आकार की सूचना प्रत्येक खरीद केंद्र पर कारखाने के अधिभोगियों या खरीद एजेंट द्वारा रखी जानी थी, जैसा भी मामला हो। यहाँ सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमत का मतलब केवल उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित कीमत थी जो केंद्र सरकार द्वारा तय की गई थी।

सरकार, गन्ना नियंत्रण के खंड 3 के तहत

आदेश, 1955, क्योंकि वास्तव में यू. पी. राज्य सरकार ने कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने की कीमत कभी तय नहीं की। यहां तक कि यू. पी. गन्ना के खंड 3 और 4 में निहित समझौतों की ओर से प्रावधान आपूर्ति और खरीद आदेश, 1954 के विनियमन में प्रावधान किया गया था कि कीमत सरकार द्वारा अधिसूचित की जाने वाली न्यूनतम कीमत होनी चाहिए, बशर्ते ऐसी कटौती, यदि कोई हो, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जाए।

अर्थात् केंद्र सरकार, राज्य

सरकार ने किसी भी समय इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है। इस प्रकार [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा किए गए प्रावधान।

जो केंद्र द्वारा अधिनियमित किए गए कुछ प्रावधानों के संबंध में राज्य और राज्य द्वारा मौन रहते हुए अधिनियमित किए गए हैं। इन प्रावधानों और विवादित अधिनियम और उसके तहत बनाए गए नियमों के साथ-साथ यू. पी. गन्ना आपूर्ति और खरीद विनियमन आदेश, 1954 के बीच कोई असहमति नहीं है। 1955 के अधिनियम X द्वारा कवर किए गए क्षेत्र पर खाई। इसलिए, कोई तिरस्कार नहीं होने का कोई सवाल ही नहीं उठता है।

संविधान के अनुच्छेद 254 (2) का प्रवर्तन और विवादित अधिनियम और बनाए गए नियमों का कोई प्रावधान नहीं इसके तहत 1953 के अधिनियम XXVI या 1955 के अधिनियम X और गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 द्वारा संशोधित 1951 के अधिनियम LXV में निहित किसी भी प्रावधान द्वारा अमान्य किया जाता है।

इसके तहत "।

11. यू. पी. सहकारी कैन संघ संघों के मामले में प्रासंगिक निष्कर्ष और उद्देश्यः

" 27. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा यह आग्रह किया गया है कि "वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन एंड ओआरएस द्वारा अधिसूचित न्यूनतम मूल्य पर" अभिव्यक्ति।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

सरकार "का उपयोग समझौते के प्रारूप में किया जाता है जो

बेंत उत्पादक और कारखाने के अधिभोगियों के बीच निष्पादित किया जाए जैसा कि फॉर्म बी में दिया गया है और जिसे निष्पादित किया जाना है

गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और कारखाने के अधिभोगियों के बीच, जैसा कि 1954 के आदेश के परिशिष्ट में फॉर्म सी में दिया गया है, यह इंगित करता है कि यह केवल केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य है जो चीनी कारखाने को गन्ने की बिक्री के लिए विचार या मूल्य हो सकता है। टीका रामजी बनाम में इस न्यायालय द्वारा की गई कुछ टिप्पणियों पर इस निवेदन के समर्थन में मजबूत निर्भरता रखी गई है। उत्तर प्रदेश की स्थिति समझौते का प्रारूप अर्थात। फॉर्म बी और सी यू. पी. गन्ना आपूर्ति और खरीद आदेश, 1954 के परिशिष्ट में निहित हैं। यह आदेश यू. पी. सरकार द्वारा शक्ति का प्रयोग करते हुए दिया गया है। 1953 के अधिनियम की धारा 16 द्वारा प्रदत्त, जिसमें यह प्रावधान है कि राज्य सरकार आदेश द्वारा आपूर्ति बनाए रखने के लिए किसी भी आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र आदि में गन्ने के वितरण, बिक्री या खरीद को विनियमित कर सकती है। राज्य द्वारा आदेश दिया गया है

उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा बनाए गए एक अधिनियम द्वारा प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करते हुए, केवल एक तार्किक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि "सरकार" शब्द राज्य सरकार को संदर्भित करता है। समझौते के प्रारूप में या 1954 के आदेश में ऐसा कोई संकेत नहीं है कि "सरकार" शब्द केंद्र सरकार को संदर्भित करेगा। यदि राज्य सरकार एक प्रारूप निर्धारित कर रही है

गन्ने की बिक्री और खरीद के संबंध में एक समझौते का जिसे गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति और कारखाने के अधिभोगियों द्वारा निष्पादित किया जाना है, जिसमें शब्द

" सरकार का उपयोग किया जाता है, इसका मतलब केवल राज्य सरकार हो सकती है और केंद्र सरकार नहीं जब तक कि इसके विपरीत स्पष्ट संकेत न हो।

28. टीका रामजी में की गई टिप्पणियों, जिस पर उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा मजबूत निर्भरता रखी गई है, को उस संदर्भ में समझना होगा जिसमें वे किए गए थे। यह हो सकता है यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि उक्त मामले में रिट याचिकाएं इस न्यायालय में वर्ष 1954 में दायर की गई थीं और निर्णय 1956 में दिया गया था। प्रासंगिक समय में, यह गन्ना (नियंत्रण) आदेश था,

1955 जो चल रहा था। इस आदेश के खंड 3 ने केंद्र सरकार को मूल्य या न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का अधिकार दिया चीनी के उत्पादक द्वारा उसके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए भुगतान किया जाए। 1955 के आदेश को गन्ना (नियंत्रण) आदेश, [2020] 9 एस. सी. आर. द्वारा निरस्त कर दिया गया है।

1966 और इस आदेश के खंड 3 में प्रावधान है कि केंद्र सरकार चीनी के उत्पादकों द्वारा भुगतान की जाने वाली गन्ने की न्यूनतम कीमत तय कर सकती है। "कीमत" में अंतर है।

जो एक निश्चित राशि है और "न्यूनतम मूल्य" जो केवल न्यूनतम अनुमेय दर को इंगित करता है। 1966 का आदेश, जो खुद केंद्र सरकार द्वारा टीका रामजी में निर्णय दिए जाने के एक दशक से अधिक समय बाद बनाया गया था, 1978 में संशोधित किया गया था और इसके खंड 3 (3) और 3-ए में "सहमत मूल्य" पर विचार किया गया था।

जो खंड 3 (2) के अधिदेश को देखते हुए खंड 3 (1) के तहत निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से अधिक होना तय है। स्वाभाविक रूप से यह "सहमत मूल्य" है जिसका उल्लेख समझौतों में किया जाना है।

अप्रैल, 1956 में जब तक इस न्यायालय द्वारा टीका रामजी पर निर्णय लिया गया, तब तक अपनी नियामक शक्ति के तहत केवल केंद्र सरकार ने ही कीमत तय करने के लिए कदम उठाया था। इन परिस्थितियों में यह देखा गया कि "सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य" का अर्थ "केंद्र सरकार" होगा। उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वकील द्वारा जिन टिप्पणियों पर भरोसा किया गया था, वे इस सवाल पर विचार करते हुए किए गए थे कि क्या कोई प्रतिकूलता थी गन्ना नियंत्रण आदेश 1955 और 1953 के अधिनियम, नियमों और 1954 के आदेश के प्रावधानों के बीच और उन्हें उस संदर्भ में समझा जाना चाहिए। निर्णय का प्रासंगिक भाग

एससीआर पी पर। 434 नीचे पुनः प्रस्तुत किया जा रहा हैः (AIR p.704, पैरा 36)

" यहाँ सरकार द्वारा तय की गई गन्ने की कीमत का मतलब केवल यही था

उपयुक्त सरकार द्वारा निर्धारित कीमत जो

गन्ने के खंड 3 के तहत केंद्र सरकार हो

नियंत्रण आदेश, 1955, क्योंकि वास्तव में उत्तर प्रदेश राज्य

सरकार ने गन्ने की कीमत कभी तय नहीं की

कारखानों द्वारा खरीदा गया। यहाँ तक कि उनकी ओर से प्रावधान भी

यू. पी. के खंड 3 और 4 में निहित समझौते।

सरकार द्वारा अधिसूचित ऐसी कटौती, यदि कोई हो, जो सरकार द्वारा समय-समय पर अधिसूचित की जा सकती है। इसका अर्थ है केंद्र सरकार , राज्य पश्चिम यू. पी. चीनी मिल एसोसिएशन और ओ. आर. एस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

सरकार ने इस संबंध में कोई प्रावधान नहीं किया है

किसी भी समय।

इस प्रकार गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 द्वारा बनाए गए प्रावधानों को न तो विवादित अधिनियम या उसके तहत बनाए गए नियमों या यू. पी. गन्ना विनियमन में अपनी जगह नहीं मिली।

आपूर्ति और खरीद आदेश, 1954; और गन्ना मूल्य के भुगतान और उसकी वसूली के संबंध में विवादित अधिनियम की धारा 17 में निहित प्रावधान जैसे कि यह बकाया था

भूमि राजस्व को गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 में अपनी जगह नहीं मिली।

" 28.1 उस समय की तथ्यात्मक स्थिति को ध्यान में रखते हुए कि यू. पी. सरकार ने गन्ने की कीमत तय नहीं की थी, यह

यह माना गया था कि सरकार द्वारा निर्धारित गन्ने की कीमत का अर्थ केवल "केंद्र सरकार" हो सकता है। यह कानून के सिद्धांत के रूप में निर्धारित नहीं किया गया है कि "न्यूनतम मूल्य" शब्द द्वारा अधिसूचित किया गया है।

सरकार का मतलब अनिवार्य रूप से केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य होना चाहिए या किसी भी परिस्थिति में इसका मतलब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य नहीं हो सकता है।

" 34. उत्तरदाताओं के लिए विद्वान वरिष्ठ वकील ने दृढ़ता से आग्रह किया है कि केंद्र सरकार ने 1966 का आदेश दिया है जिसमें गन्ने की कीमत निर्धारित करने के लिए एक विशिष्ट प्रावधान है, इसके खंड 3 (1) के तहत, 1953 के अधिनियम के तहत नियामक शक्ति अपने दायरे में नहीं ले सकती है।

मूल्य निर्धारण की वही शक्ति जो संसद द्वारा बनाए गए कानून के लिए स्पष्ट रूप से प्रतिकूल होगी और इसके कारण शून्य होगी - संविधान का अनुच्छेद 254 (1)। टीका रामजी में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि निर्वाचन आयोग अधिनियम जिसके तहत केंद्र सरकार ने 1966 का आदेश दिया था और 1953 का अधिनियम यू. पी. विधानमंडल द्वारा बनाया गया था

सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 33 के संदर्भ में अधिनियमित किया गया था। 1953 के अधिनियम की संवैधानिक वैधता को उक्त निर्णय में संविधान पीठ द्वारा बरकरार रखा गया था। पी. 437 रिपोर्ट (एस. सी. आर.) के न्यायालय ने श्यामकांत लाल बनाम में सुलेमान जे. के निर्णय से निम्नलिखित अंश को अनुमोदन के साथ उद्धृत किया।

रामभजन सिंह (एफ. सी. आर. पी. 212: पी. पर आकाशवाणी। 83) प्रतिकूलता के संबंध में निर्माण के सिद्धांत के लिएः (एयर पी। 700, पैरा 32)

" जब सवाल यह है कि क्या कोई प्रांतीय कानून मौजूदा भारतीय कानून के प्रतिकूल है, तो इसका [2020] 9 एस. सी. आर. दिखाने की जिम्मेदारी है।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

प्रतिकूलता और यह किस हद तक प्रतिकूल है

इसकी वैधता पर हमला करने वाले पक्ष पर। एक होना चाहिए

इसकी वैधता के पक्ष में अनुमान, और हर प्रयास होना चाहिए

अतिक्रमण। इसके अलावा, वास्तव में घृणा मौजूद होनी चाहिए, और केवल एक संभावना पर निर्भर नहीं हैः "

(जोर दिया गया)

और फिर पकड़ने के लिए चला गयाः (एयर पी। 700, पैरा 33)

" 33. तत्काल मामले में, कोई सवाल ही नहीं है

द्वारा अधिनियमित अधिनियमों की वास्तविक शर्तों में असंगति

संसद और विवादित अधिनियम। केवल प्रश्न जो उठते हैं

क्या संसद और राज्य विधानमंडल ने मांग की थी

एक ही विषय पर अपनी शक्तियों का प्रयोग करें-पदार्थ या क्या

संसद द्वारा अधिनियमित कानूनों का उद्देश्य पूर्ण होना था

संपूर्ण कोड या, दूसरे शब्दों में, स्पष्ट रूप से या निहित रूप से

पूरे मैदान को कवर करने का इरादा दिखाया।

35. एम. करुणानिधि बनाम। भारत संघ, सिद्धांत

संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच प्रतिकूलता निर्धारित करने के लिए आवेदन करने पर विचार किया गया था

एक संविधान पीठ। श्री एम. करुणानिधि के खिलाफ दर्ज एफ. आई. आर. के अनुसरण में सी. बी. आई. ने जाँच के बाद प्रस्तुत किया था।

उसके खिलाफ आई. पी. सी. की धारा 161,468 और 471 के तहत आरोप पत्र और

भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 5 (1) (डी) के साथ पठित धारा 5 (2)। मद्रास विधानमंडल ने तमिलनाडु लोक पुरुष (आपराधिक दुराचार) अधिनियम, 1973 के रूप में जाना जाने वाला एक अधिनियम पारित किया था जिसे राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई थी। यह तर्क दिया गया कि संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के आधार पर, भारतीय दंड संहिता, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और आपराधिक कानून संशोधन

अधिनियम के प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया। पूर्ववर्ती सभी प्राधिकरणों की समीक्षा के बाद न्यायालय ने निम्नलिखित परीक्षण निर्धारित किएः (एससीसी पीपी। 448-49 ,

पैरा 35)

" 35. 1. कि सवाल का फैसला करने के लिए

तिरस्कार यह दिखाया जाना चाहिए कि दोनों अधिनियमों में शामिल हैं असंगत और अपरिवर्तनीय प्रावधान, ताकि वे नहीं कर सकते

एक साथ खड़े हों या एक ही क्षेत्र में काम करें।

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

3. कि जहाँ दोनों क़ानून एक विशेष क्षेत्र पर कब्जा करते हैं, लेकिन दोनों क़ानूनों के एक दूसरे के साथ टकराव में आए बिना एक ही क्षेत्र में काम करने की गुंजाइश या संभावना है, वहाँ कोई प्रतिकूलता नहीं है। परिणाम।

एक ही क्षेत्र विशिष्ट और अलग-अलग अपराध पैदा करना चाहता है, तिरस्कार का कोई सवाल ही नहीं उठता है और दोनों कानून एक ही क्षेत्र में काम करते रहते हैं। " 37. 1966 के आदेश के खंड 3 की उप-धारा (1) के तहत, केंद्र सरकार केवल न्यूनतम मूल्य तय कर सकती है -

गन्ना। इस खंड को उपखंड (2) के साथ पढ़ा जाना चाहिए।

जो एक प्रतिबंध या निषेध पैदा करता है कि कोई भी व्यक्ति चीनी के उत्पादक को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा और ऐसा कोई भी उत्पादक उपखंड (1) के तहत निर्धारित मूल्य से कम पर गन्ना नहीं खरीदेगा या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा। अगर राज्य सरकार एक कीमत तय करती है तो विसंगति या अस्वीकृति उत्पन्न होगी जो

एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना। राज्य सरकार द्वारा तय की गई अधिक कीमत स्वतः ही मान जाएगी। 1966 के आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) के प्रावधानों के साथ। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, किसी भी प्रकार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकता है।

..... कि 1966 के आदेश के तहत केंद्रीय

" 39 .

सरकार केवल न्यूनतम मूल्य तय करती है और इसके लिए हमेशा खुला रहता है।

राज्य सरकार अधिक कीमत तय करेगी। राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए अधिनियमों के तहत क्षेत्र चीनी कारखानों के लिए आरक्षित हैं और वहां के गन्ना उत्पादक उन्हें गन्ने की आपूर्ति करने के लिए मजबूर हैं और इसलिए राज्य सरकार ने गन्ने की कीमत तय करने की आनुषंगिक शक्ति जो वैधानिक कीमत भी होगी। वे आगे बताते हैं कि केन कमिश्नर

गन्ना उत्पादकों और चीनी कारखानों को [2020] 9 एस. सी. आर. में प्रवेश करने का निर्देश दे सकते हैं।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

द्वारा निर्धारित मूल्य पर गन्ने की खरीद के लिए समझौते

राज्य सरकार और ऐसे समझौतों को बल या मजबूरी से प्राप्त किया गया माना नहीं जा सकता है।

" 43. उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका की अनुमति देने और तय करने के आदेश को रद्द करने के लिए दिए गए मुख्य कारणों में से एक

राज्य परामर्शित मूल्य यह है कि गन्ना अधिनियम, 1934 के तहत राज्य सरकार को गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की शक्ति दी गई थी और इसलिए यह कहना अनावश्यक होगा कि गन्ने का मूल्य निर्धारित करने की वही शक्ति 1953 के अधिनियम की धारा 16 से भी आती है। उच्च न्यायालय ने यह भी अभिनिर्धारित किया है कि जब 1953 का अधिनियम अधिनियमित किया गया था, तब पहले से ही एक कानून था। , गन्ना अधिनियम, 1934, जिसने राज्य सरकार को न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करने में सक्षम बनाया और इसलिए, 1953 के अधिनियम को लागू करते समय उत्तर प्रदेश विधानमंडल का यह इरादा नहीं हो सकता था कि इसकी धारा 16 में न्यूनतम गन्ना मूल्य निर्धारित करने की शक्ति शामिल होगी क्योंकि गन्ना अधिनियम, 1934 की धारा 3 (2) के तहत राज्य सरकार के पास पहले से ही ऐसी शक्ति थी। इसलिए, उच्च न्यायालय ने निष्कर्ष निकाला कि 1953 के अधिनियम की धारा 16 केवल राज्य को शक्ति देती है।

सरकार गन्ने की आपूर्ति और खरीद को संकीर्ण अर्थों में विनियमित करेगी न कि व्यापक अर्थों में ताकि न्यूनतम मूल्य तय करने की शक्ति को शामिल किया जा सके। उच्च न्यायालय का यह तर्क इस आधार पर आगे बढ़ता है कि गन्ना अधिनियम, 1934 अस्तित्व में था और उस समय लागू था जब 1953 का अधिनियम उत्तर प्रदेश विधानमंडल द्वारा अधिनियमित किया गया था। ऐसा प्रतीत होता है कि सही कानूनी स्थिति को विद्वान न्यायाधीशों के ध्यान में नहीं लाया गया था। गन्ना अधिनियम, 1934 को उत्तर प्रदेश चीनी कारखाने नियंत्रण अधिनियम, 1938 (1938 का उत्तर प्रदेश अधिनियम 1) द्वारा निरस्त कर दिया गया था। उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 की धारा 26 ने उत्तर प्रदेश चीनी को निरस्त कर दिया।

कारखाना नियंत्रण अधिनियम, 1938। के प्रवर्तन के साथ

भारत सरकार अधिनियम, 1935, डोमिनियन विधानमंडल और प्रांतीय के बीच विधायी शक्तियों का वितरण था।

विधानमंडल और गन्ना अधिनियम, 1934 का पूरा विषय प्रांतीय विधायी सूची में आता था। इन में था

उन परिस्थितियों में जब यू. पी. विधानमंडल ने यू. पी. चीनी कारखाने नियंत्रण अधिनियम, 1938 लागू किया जिसने गन्ना अधिनियम को निरस्त कर दिया, 1934 उत्तर प्रदेश राज्य में इसके अनुप्रयोग में यह स्थिति टीका रामजी बनाम में देखी गई है। उत्तर प्रदेश राज्य, एस. सी. आर. पीपी. पर। 400 , 401 और 417। इसलिए, उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए उपरोक्त तर्क का कोई कानूनी आधार नहीं है। पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस.

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

" 44. उच्च न्यायालय द्वारा दिया गया दूसरा तर्क यह है कि भले ही राज्य सरकार के पास न्यूनतम निर्धारित करने की शक्ति हो

1953 के अधिनियम की धारा 16 के तहत गन्ना मूल्य, यह शक्ति निर्वाचन आयोग अधिनियम के अधिनियमन और गन्ना नियंत्रण आदेश, 1955 (बाद में 1966 के आदेश द्वारा प्रतिस्थापित) की घोषणा पर संविधान के अनुच्छेद 254 (1) को देखते हुए समाप्त हो गई, जो अब केंद्र सरकार को न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की विशेष शक्ति देता है। जैसा कि पहले चर्चा की गई है, हम उपरोक्त तर्क से सहमत नहीं हैं जैसा कि तिरस्कार का सवाल करता है।

3 (3 - ग) ई. सी. अधिनियम, 1966 के आदेश के तहत निर्धारित गन्ने के न्यूनतम मूल्य को ध्यान में रखता है और यदि चीनी मिलें केंद्र
द्वारा निर्धारित कीमत से अधिक कीमत चुकाने के लिए मजबूर होना

केंद्र सरकार को उपखंड में उल्लिखित कई कारकों को ध्यान में रखते हुए लेवी चीनी की कीमत निर्धारित करनी होती है। धारा और 1966
के आदेश के तहत निर्धारित न्यूनतम मूल्य केवल एक कारक है। चीनी की उत्पादन लागत और चीनी के निर्माण के व्यवसाय में नियोजित पूंजी पर उचित लाभ प्राप्त करना भी धारा 3 (3) ईसी अधिनियम के खंड (बी) और (डी) के तहत प्रासंगिक कारक हैं और इसलिए, राज्य सरकार द्वारा गन्ने के लिए उच्च मूल्य निर्धारित करने से केंद्र सरकार द्वारा लेवी चीनी के मूल्य के निर्धारण पर कोई बड़ा या पर्याप्त प्रभाव नहीं पड़ सकता है।

12. च में शामिल प्रश्न। टीका रामजी और अन्य। , आदि वी। द.

उत्तर प्रदेश राज्य और अन्य। ए. आई. आर. 1956 एस. सी. 676 संबंधित था

1953 के अधिनियम की धारा 16 की उप-धारा 2 (बी) के साथ पठित उप-धारा 1 (ए) के तहत प्रदत्त शक्तियां/जो प्रदान करती हैं किगन्ना उत्पादक सहकारी [2020] 9 एस. सी. आर. के संचालन के क्षेत्र के गन्ना उत्पादक।

समाज का सदस्य बनना। जिस कारखाने के लिए क्षेत्र सौंपा गया है, उस पर कब्जा करने वाला कोई खरीद या समझौता नहीं करेगा।

13. 1953 के अधिनियम की धारा 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जारी की गई अधिसूचना, आरक्षित या अनुसूची के कॉलम 2 में उल्लिखित चीनी कारखानों को सौंपा गया

इसके साथ, गन्ना खरीद केंद्र, उनसे जुड़े अधिकारियों के साथ, पेराई के मौसम 1955-56 के दौरान गन्ने की आपूर्ति के लिए कॉलम 3 में उनके खिलाफ निर्दिष्ट किए गए हैं। इस प्रकार, यह स्पष्ट है कि 27.9.1954 दिनांकित अधिसूचना चीनी की आपूर्ति एजेंसी से संबंधित है। कारखानों के लिए बेंत और विशेष कारखानों के लिए क्षेत्रों के निर्माण से संबंधित 9.11.1955 की अधिसूचना पर सवाल उठाए गए थे। अधिनियम और अधिसूचना की वैधता पर हमला करने के लिए विभिन्न प्रस्तुतियाँ की गईं।

14. सबसे पहले, यह आग्रह किया गया कि उत्तर प्रदेश राज्य को 1953 के अधिनियम को लागू करने की कोई शक्ति नहीं है क्योंकि यह उद्योगों के विषय से संबंधित है, जिसके नियंत्रण को संसद द्वारा कानून द्वारा सूची I की प्रविष्टि 52 के अर्थ के भीतर जनहित में समीचीन घोषित किया गया है। 1953 का अधिनियम आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और उद्योग विकास विनियमन अधिनियम, 1951 के प्रतिकूल था। 1953 का अधिनियम अनुच्छेद 14 के तहत बनाए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन करता है क्योंकि केन आयुक्त को विशाल शक्तियां दी गई थीं, जिनका उपयोग किसी भी मामले में किया जा सकता था।

भेदभावपूर्ण तरीके से। अधिसूचना दिनांक 27.9.1954 ने इसका उल्लंघन किया अनुच्छेद 19 (1) (सी) के तहत गारंटीकृत मौलिक अधिकार। गन्ना उत्पादकों

एक कारखाने को गन्ना बेचने से पहले वे समाज के सदस्य बनने के लिए मजबूर थे। 1953 का अधिनियम और अधिसूचनाएं संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (च) और (छ) और अनुच्छेद 31 द्वारा गारंटीकृत मौलिक अधिकार का उल्लंघन करती हैं।

15. इस न्यायालय ने अभिनिर्धारित किया कि उत्तर प्रदेश राज्य के पास अधिनियम को अधिनियमित करने के लिए विधायी क्षमता है, और 1951 के अधिनियम या आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के साथ 1953 के अधिनियम का कोई विरोध नहीं था। इस न्यायालय ने अधिनियम और अधिसूचनाओं की वैधता को बरकरार रखा और यह भी माना कि कोई अनुचित प्रतिबंध नहीं लगाया गया था। वहाँ

संविधान के अनुच्छेद 19 (1) (एफ) और (जी) और अनुच्छेद 31 के तहत मौलिक अधिकार का कोई उल्लंघन नहीं था।

16. 1953 के अधिनियम के तहत राज्य सरकार द्वारा मूल्य निर्धारित करने का प्रश्न च में विचार के लिए नहीं आया था।

टीका राम वेस्ट यू. पी. शुगर मिलस एसोसिएशन एंड ऑर्स। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

(ऊपर)। इस अदालत ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार ने निर्णय दिए जाने तक कारखानों द्वारा खरीदे जाने वाले गन्ने की कीमत कभी तय नहीं की थी। तिरस्कार की जाँच करते हुए, पास करना 1954 के अधिनियम में निहित प्रावधानों का संदर्भ दिया गया है।

17. याचिकाओं के लंबित रहने के दौरान, चीनी नियंत्रण आदेश, 1955,27.8.1955 पर जारी किया गया था, जिसे निर्णय में संदर्भित किया गया था। यह समर्पण भी नहीं उठाया गया था या माना गया था कि की शक्ति अधिनियम की धारा 16 के तहत विनियमन में गन्ने की अनुशंसित कीमत तय करने की शक्ति शामिल होगी। केंद्र सरकार द्वारा राज्य सरकार द्वारा निर्धारित किए जाने वाले राज्य परामर्शित मूल्य की तुलना में न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने की अवधारणा, उक्त मामले में इस न्यायालय के विचार के लिए कभी नहीं आई।

निर्णय लें। निर्णय के अनुपात पर विचार किए गए और उत्तर दिए गए प्रश्नों के आलोक में विचार किया जाना चाहिए। टीका रामजी (उपर्युक्त) में यह अभिनिर्धारित किया गया था कि 1953 के अधिनियम में 1955 के अधिनियम या अधिनियम के साथ कोई प्रतिकूलता नहीं थी। 1951 की अधिसूचना और जिन अधिसूचनाओं पर आपत्ति जताई गई थी, वे मौलिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं करती थीं।

18. इस प्रकार, उपरोक्त से, यह स्पष्ट है कि तथ्यात्मक मैट्रिक्स और प्रासंगिक प्रावधान जो इस न्यायालय के समक्ष विचार के लिए पड़े थे टीका रामजी (ऊपर) का मामला और जो यू. पी. कूप के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार के लिए गिर गया। केन यूनियन फेडरेशन (ऊपर) पूरी तरह से अलग थे। जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1955 के आदेश के खंड 3 ने केंद्र सरकार को "मूल्य या न्यूनतम मूल्य" तय करने का अधिकार दिया। 1955 के आदेश का उपरोक्त खंड 3 इसके तहत था

टीका रामजी (उपर्युक्त) के मामले में इस न्यायालय द्वारा विचार। हालाँकि, बाद में, 1955 के आदेश को 1966 के आदेश और 1966 के आदेश के खंड 3 द्वारा निरस्त कर दिया गया है जिसमें प्रावधान है कि केंद्र सरकार गन्ने की "न्यूनतम कीमत" तय कर सकती है। इसलिए, जब विधायिका ने जानबूझकर "मूल्य" शब्द को हटा दिया और केंद्र सरकार के पास "न्यूनतम मूल्य" तय करने की शक्ति बरकरार रखी, तो इस तरह के विलोपन को कुछ अर्थ दिया जाना चाहिए। जब किसी कानून के प्रावधानों में कुछ शब्दों को हटा दिया जाता है या जोड़ा जाता है और/या प्रतिस्थापित किया जाता है तो विधायिका के इरादे पर भी विचार किया जाना आवश्यक है। टीका रामजी (ऊपर) के मामले में, इस न्यायालय ने हालांकि विशेष रूप से कहा और कहा कि चीनी और गन्ने के क्षेत्र में, संसद और राज्य दोनों विधायिका के पास समवर्ती क्षेत्राधिकार होगा क्योंकि यह सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची में प्रविष्टि 33 के तहत आएगा। इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि राज्य सरकार ने कीमत तय करने की शक्ति का प्रयोग नहीं किया, हालांकि शक्तियां उपलब्ध थीं और केंद्र सरकार [2020] 9 एस. सी. आर.

राज्य सरकार द्वारा अपनाए जाने वाले मूल्य/न्यूनतम मूल्य को निर्धारित करते हुए, टीका रामजी के मामले (उपरोक्त) में इस न्यायालय ने कहा कि ऐसी स्थिति में कोई टकराव नहीं है और तिरस्कार का सवाल नहीं है।

उठें। इसलिए, हमारी राय है कि टीका रामजी के मामले में निर्णयों और यू. पी. कूप के बीच कोई स्पष्ट संघर्ष नहीं है।

केन यूनियन फेडरेशन, जिन्हें सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ को भेजे जाने की आवश्यकता होती है। 19. 1966 के आदेश के खंड 3 के तहत न्यूनतम मूल्य तय किया जा सकता है। उक्त आदेश के खंड 3 ए के तहत, जैसा कि 1978 में संशोधित किया गया था, सहमत

समझौते में मूल्य का उल्लेख किया जाना है, जो न्यूनतम मूल्य से अधिक और उससे कम नहीं हो सकता है। खंड 3 (2) के तहत, कोई भी व्यक्ति चीनी उत्पादक या उसके एजेंट को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा, और ऐसा कोई भी उत्पादक या एजेंट गन्ना खरीदने या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा। उपखंड (1) के अधीन निर्धारित मूल्य से कम मूल्य पर। इस प्रकार, खंड 3 (1) के तहत निर्धारित मूल्य को न्यूनतम मूल्य माना जाना चाहिए। खंड 3 (ए) के तहत, जैसा कि 2.2.1978 पर डाला गया है, लिखित समझौते की आवश्यकता है,

और 14 दिनों के भीतर सहमति के अनुसार कीमत का भुगतान करना होगा।

20. अन्यथा भी और गुण-दोष और नीचे बताए गए कारणों से, हम यू. पी. कॉप के मामले में इस न्यायालय द्वारा लिए गए दृष्टिकोण से पूरी तरह सहमत हैं। केन यूनियन फेडरेशन, जो यह बताता है कि अगर राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित कीमत से कम कीमत तय करती है तो विसंगति या अस्वीकृति उत्पन्न होगी। लेकिन, यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, तो किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता का कोई कारण नहीं होगा। दोनों आदेशों के लिए एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना संभव है। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित अधिक मूल्य स्वतः ही 1966 के आदेश के खंड 3 के उपखंड (2) के प्रावधानों का पालन करेगा। इसलिए, राज्य सरकार द्वारा निर्धारित कोई भी मूल्य जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, किसी भी प्रकार की अस्वीकृति का कारण नहीं बन सकता है।

20.1 संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार का प्रश्नः की सातवीं अनुसूची की सूची III में कानूनों के बारे में

भारत का संविधान, जहां संघ और राज्यों दोनों के पास कानून बनाने की शक्ति है, वहां अस्वीकृति का सवाल केवल उस मामले में उत्पन्न होता है जहां दोनों कानूनों के बीच वास्तविक अपरिवर्तनीय संघर्ष होता है। दोनों कानूनों के बीच असंगति अपरिवर्तनीय है, फिर सवाल पश्चिम यू. पी. चीनी मिल एसोसिएशन और ओ. आर. एस।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

हठधर्मिता उत्पन्न होती है। के प्रमुख इरादे को खोजना आवश्यक है

विधायिकाएं, किराए के संदर्भ में एक ही क्षेत्र का आंशिक या आकस्मिक कवरेज, और एक अलग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए, आकर्षित नहीं करती हैं।प्रतिकृति का ऑक्ट्रीन। राजीव सरीन बनाम। उत्तराखंड राज्य, (2011)

सी708 में, न्यायालय ने अभिनिर्धारित कियाः

" 33. यह तुच्छ कानून है कि तिरस्कार की याचिका होगी

यह केवल तभी आकर्षित होता है जब दोनों विधान संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के अंतर्गत आते हैं। संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत, सूची 3 में शामिल विषय वस्तु यानी संविधान की सातवीं अनुसूची की समवर्ती सूची के संबंध में पारित राज्य कानून अमान्य होगा यदि इसके प्रावधान संसद द्वारा उसी विषय पर पारित कानून के प्रतिकूल हैं और वह भी केवल ऐसी स्थिति में जब दोनों कानून यानी राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए एक और संसद द्वारा बनाए गए दूसरे एक साथ मौजूद नहीं हो सकते हैं। दूसरे शब्दों में, संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार का सवाल तब उत्पन्न होता है जब दोनों कानूनों के प्रावधान एक-दूसरे के साथ पूरी तरह से असंगत होते हैं या जब दोनों कानूनों के प्रावधान एक-दूसरे के साथ पूरी तरह से असंगत होते हैं, और यह दूसरे प्रावधान को बाधित किए बिना असंभव होता है, या परस्पर विरोधी व्याख्याओं का परिणाम तब होता है जब एक ही क्षेत्र को कवर करने वाले दोनों कानूनों को तथ्यों के दिए गए सेट पर लागू किया जाता है। कहने का मतलब है, सरल शब्दों में, दोनों कानूनों के बीच विरोध उत्पन्न होगा।

यदि दोनों प्रावधानों और संसद द्वारा बनाए गए कानून और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून के बीच सीधा टकराव है, तो यह एक ही क्षेत्र में आता है। इसलिए, जब भी संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कानून के बीच प्रतिकूलता का मुद्दा उठाया जाता है, तो यह जांच करना काफी आवश्यक हो जाता है कि क्या दोनों विधान एक ही विषय को शामिल करते हैं या उससे संबंधित हैं।

अलग-अलग।

एक्स एक्स एक्स

45. संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत तिरस्कार के लिए, एक दोहरी आवश्यकता है, जिसे पूरा किया जाना हैः सबसे पहले, केंद्रीय और राज्य अधिनियम के बीच एक "विरोध" होना चाहिए और दूसरा, राष्ट्रपति की सहमति को अस्तित्वहीन माना जाना चाहिए। इस तरह की दुर्भावना को निर्धारित करने की कसौटी वास्तव में दोनों विधानों के प्रमुख इरादे का पता लगाना है और क्या

दोनों विधानों के ऐसे प्रमुख इरादे समान हैं या

अलग-अलग। इसे सरल शब्दों में कहें तो, [2020] 9 एस. सी. आर. के लिए एक कानून में एक प्रावधान।

इसके प्रमुख उद्देश्य को प्रभाव देना संयोग से हो सकता है

वही विषय जो अन्य विधान के प्रावधान में शामिल है,

लेकिन एक ही क्षेत्र में इस तरह के आंशिक या आकस्मिक कवरेज अलग संदर्भ और एक अलग उद्देश्य प्राप्त करने के लिए नहीं है

तिरस्कार के सिद्धांत को आकर्षित करें। संक्षेप में, आकर्षित करने के लिए

तिरस्कार का सिद्धांत, दोनों विधानों को होना चाहिए

काफी हद तक एक ही विषय पर "।

20.2 एम. करुणानिधि बनाम। भारत संघ और ए. एन. आर. , (1979) 3 एस. सी. सी. न्यायालय ने राय दी कि जहां राज्य द्वारा बनाए गए कानून और संसद द्वारा बनाए गए कानून के बीच सीधा टकराव होता है, वहां राज्य का कानून तिरस्कार की सीमा तक अमान्य होगा। यह तभी होता है जब प्रावधानों का मिलान किया जा सके। न्यायालय ने कहाः

" 8. यह देखा जाएगा कि जहाँ तक अनुच्छेद 254 का खंड (1) है

राज्य द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान और समवर्ती सूची में उल्लिखित मामलों में से एक के संबंध में संसद द्वारा बनाए गए कानून के प्रावधान के बीच टकराव, फिर, खंड के प्रावधानों के अधीन (2) , राज्य का कानून प्रतिकूलता की सीमा तक शून्य होगा। इसका स्वाभाविक रूप से यह अर्थ है कि जहां राज्य और संसद दोनों

समवर्ती सूची द्वारा विचार किए गए क्षेत्र पर कब्जा करें तो

संसद द्वारा समय से पहले पारित किया गया अधिनियम प्रबल होगा, और इसके परिणामस्वरूप, राज्य अधिनियम को केंद्र को सौंपना होगा।

एक्ट करें। वास्तव में, संविधान की योजना एक वैज्ञानिक और

संसद के बीच विधायी शक्तियों का समान वितरण

सूची I में, दूसरा, जहां तक समवर्ती सूची का संबंध है, संसद और राज्य विधानमंडल दोनों को उसमें दिखाई देने वाली किसी भी प्रविष्टि के संबंध में कानून बनाने का अधिकार है, लेकिन वह विषय है।

ऊपर चर्चा किए गए अनुच्छेद 254 (1) द्वारा निर्धारित शर्त के लिए।

तीसरा, जहां तक सूची-2 अर्थात राज्य सूची के मामलों का संबंध है, केवल राज्य विधान मंडल ही कानून बनाने में सक्षम हैं।

उन पर, और केवल कुछ शर्तों के तहत, संसद ऐसा कर सकती है। अतः यह स्पष्ट है कि ऐसे मामलों में तिरस्कार हो सकता है।

निम्नलिखित परिस्थितियों का परिणामः

पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

1. जहां समवर्ती सूची में केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम के प्रावधान पूरी तरह से असंगत हैं और पूरी तरह से असंगत हैं। अपरिवर्तनीय, केंद्रीय अधिनियम प्रबल होगा, और राज्य अधिनियम प्रतिकूलता को देखते हुए शून्य हो जाएगा।

समवर्ती सूची, राज्य अधिनियम प्रतिकूलता की सीमा तक प्रबल होगा और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधान बन जाएंगे बशर्ते कि राज्य अधिनियम अनुच्छेद 254 के खंड (2) के अनुसार पारित किया गया हो।

3. जहां राज्य विधानमंडल द्वारा पारित कोई कानून राज्य सूची में प्रविष्टियों के दायरे में होने के बावजूद केंद्रीय सूची में किसी भी प्रविष्टि पर प्रवेश करता है

पीठ और सार के सिद्धांत को लागू करके कानून की संवैधानिकता को बरकरार रखा जा सकता है यदि अधिनियम के प्रावधानों के विश्लेषण पर यह प्रतीत होता है कि कानून मोटे तौर पर चार कोनों के भीतर आता है। राज्य सूची और घेराबंदी, यदि कोई हो, विशुद्ध रूप से आकस्मिक या अप्रासंगिक है।

4. तथापि, जहां समवर्ती सूची के अंतर्गत आने वाले विषय पर राज्य विधानमंडल द्वारा बनाया गया कोई कानून इसके साथ असंगत है -

और संसद द्वारा बनाए गए पिछले कानून के प्रतिकूल, तो ऐसे कानून को राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करके संरक्षित किया जा सकता है।

संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत। राष्ट्रपति की सहमति प्राप्त करने का परिणाम यह होगा कि जहां तक राज्य अधिनियम का संबंध है, यह राज्य में प्रबल होगा और केंद्रीय अधिनियम के प्रावधानों को केवल राज्य पर लागू होने में ही निरस्त कर देगा। ऐसी स्थिति केवल तब तक बनी रहेगी जब तक कि संसद किसी भी समय अनुच्छेद 254 के परंतुक के तहत राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून को जोड़ने, या संशोधित करने, बदलने या निरस्त करने का कानून नहीं बना सकती है।

जहाँ तक वर्तमान राज्य अधिनियम का संबंध है, हमें संविधान के अनुच्छेद 254 (2) के तहत इसकी संवैधानिक वैधता के विभिन्न रंगों पर विचार करने के लिए कहा जाता है।

एक्स एक्स एक्स

24. यह अच्छी तरह से तय किया गया है कि धारणा हमेशा एक क़ानून की संवैधानिकता के पक्ष में होती है और जिम्मेदारी व्यक्ति पर होती है यह साबित करने के लिए कि यह असंवैधानिक है, अधिनियम को लागू करना।

हमें राज्य अधिनियम और केंद्रीय अधिनियमों के बीच कोई विसंगति प्रतीत नहीं होती है। इससे पहले कि कोई तिरस्कार उत्पन्न हो, निम्नलिखित शर्तों को पूरा किया जाना चाहिएः

1. कि इनके बीच एक स्पष्ट और प्रत्यक्ष असंगति है

केंद्रीय अधिनियम और राज्य अधिनियम।

2. कि इस तरह की असंगति पूरी तरह से अपरिवर्तनीय है।

3. कि दोनों अधिनियमों के प्रावधानों के बीच असंगति ऐसी प्रकृति की है कि दोनों अधिनियम एक-दूसरे के साथ सीधे टकराव में आ जाते हैं और ऐसी स्थिति में पहुंच जाते हैं जहां दूसरे की अवज्ञा किए बिना एक का पालन करना असंभव है।

20.3 संविधान के अनुच्छेद 254 का खंड (1) राज्य के कानूनों के साथ टकराव की स्थिति में केंद्रीय विधानों को प्रधानता देता है चाहे वे अधिनियमित हों।

पहले या बाद में। केंद्रीय कानून केवल तिरस्कार के मामले में काम करता है।

और केवल संभावना के मामले में नहीं जब ऐसा आदेश राज्य के कानून के तहत जारी किया जा सकता है, जैसा कि बेलसुंड शुगर कंपनी लिमिटेड v में राय दी गई है। बिहार राज्य और अन्य। , (1999) 9 एस. सी. सी. 620; पंजाब डेयरी विकास बोर्ड और अन्र. वी. सेफम मिल्क स्पेशलिटीज लिमिटेड और अन्य, (2004) 8 एस. सी. सी. 621; सदर्न पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड बनाम। विद्युत निरीक्षक और ई. टी. आई. ओ. और अन्य। , (2007) 5 एस. सी. सी. 447 और भारत हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड और अन्य। वी. असम और अन्र राज्य। (2004) 2 एससीसी 553।

20.4 यह स्पष्ट है कि यू. पी. सहकारी गन्ना संघों में

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य। लेकिन 1953 के अधिनियम की धारा 16 के तहत राज्य सलाह मूल्य तय करने की शक्ति का प्रयोग, निम्न के तहत न्यूनतम मूल्य निर्धारण के साथ अपरिवर्तनीय नहीं कहा जा सकता है। आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 (2) (सी) और गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 की धारा 3।

राज्य पश्चिम यू. पी. चीनी मिल समाज और ओ. आर. एस. के निर्धारण की शक्ति। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

1953 के अधिनियम की धारा 16 के तहत अनुशंसित मूल्य को किसी भी तरह से मनमाना या अवैध नहीं कहा जा सकता है।

20.4. 1 उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ संघों (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय के पास अधिनियम की धारा 16 के दायरे, दायरे और महत्व पर विचार करने का अवसर था। सवाल यह था कि क्या राज्य सरकार के पास गन्ने के लिए एस. ए. पी. तय करने का अधिकार है या नहीं।

केवल केंद्र सरकार, जो न्यूनतम मूल्य तय कर सकती थी या यह कहने के लिए कि क्या एसएपी का निर्धारण केंद्र द्वारा कवर किया गया था

कानून बनाना या केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अलग मूल्य तय करना राज्य के लिए खुला था और क्या इसमें प्रतिकूलता थी

(ऊपर), यह प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने प्रभाव को ध्यान में रखा, अधिनियम के तहत धारा 16 का दायरा और प्रभाव। इस न्यायालय ने अधिनियम की धारा 16 पर विस्तार से विचार किया- खरीद को विनियमित करने का प्रावधान और

आरक्षित और निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने की आपूर्ति, जिसके तहत राज्य सरकार को किसी भी आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र में गन्ने के वितरण, बिक्री या खरीद को विनियमित करने और आरक्षित या निर्दिष्ट क्षेत्र के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में गन्ने की खरीद के लिए आदेश जारी करने की शक्ति निहित है। इसके बाद, इस न्यायालय ने निर्णय दिया है कि विनियमन की शक्ति में एस. ए. पी. को ठीक करने की शक्ति शामिल है। इस न्यायालय ने भी विशेष रूप से अवलोकन किया है और यह अभिनिर्धारित किया है कि कोई तिरस्कार नहीं था।

20.4. 3 यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों (ऊपर) के मामले में संविधान पीठ के फैसले से, यह आगे

ऐसा प्रतीत होता है कि इस न्यायालय ने प्रासंगिकता, महत्व, उद्देश्य और उद्देश्य, इसके प्रभाव, निहितार्थ और धारा को लागू करने के कारणों को ध्यान में रखा 16 अधिनियम और सभी प्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखने के बाद इस न्यायालय ने विशेष रूप से यह अभिनिर्धारित किया है कि एस. ए. पी. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है जिसे सांविधिक न्यूनतम मूल्य (एस. एम. पी.) के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार, यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों (उपरोक्त) के मामले में, इस न्यायालय ने विशेष रूप से शक्ति को बरकरार रखा है

राज्य सरकार द्वारा अधिनियम की धारा 16 के तहत एस. ए. पी. तय करने के लिए।

20.5 अब, जहाँ तक राज्य सरकार द्वारा एस. ए. पी. के निर्धारण का संबंध है, उच्च न्यायालय के समक्ष जवाबी हलफनामे से 2007 की रिट याचिका संख्या 8548 (एमबी) में दायर न्यायालय ऐसा प्रतीत होता है कि

राज्य सरकार, निम्नलिखित कारक एस. ए. पी. के निर्धारण के लिए प्रासंगिक तथ्य हैं।

20] 9 एस सी आर।

सर्वोच्च न्यायालय की रिपोर्ट

गन्ने की खेती की लागत।

(1)

((ख)

गन्ना उत्पादकों द्वारा गन्ने के परिवहन की लागत

खरीद केंद्र या मिल गेट के लिए क्षेत्र, जैसा भी मामला हो।

उसकी उपज की उपरोक्त राशि पर उचित प्रतिफल

(iii)

गन्ना उत्पादकों के लिए।

((iv)

गन्ना क्षेत्र की उपलब्धता, गन्ना की मांग

उद्योग, चीनी बेचकर उद्योगों की लाभप्रदता, और

अन्य अलविदा उत्पाद आदि।

चीनी कारखानों द्वारा भुगतान की गई गन्ने की कीमत

(v)

आगे बढ़ने वाला वर्ष।

(vi) चीनी उद्योगों से गन्ना को कोल्हू जैसे अन्य उपभोक्ताओं की ओर मोड़ने से बचने के लिए आवश्यक कारक और

खंडसारी इकाइयाँ।

ऐसा भी प्रतीत होता है कि एसएपी का निर्धारण और निर्धारण एक

मंत्रिमंडल का निर्णय जो गन्ने की खेती/उत्पादन की लागत आदि सहित कई कारकों पर विचार करने के बाद तय किया गया है और

चीनी कारखानों द्वारा उपज से अर्जित लाभ सहित उत्पाद, बिजली परियोजना आदि। इस प्रकार यह प्रतीत होता है कि प्राधिकरण इस तरह की कीमत-एसएपी-का निर्धारण करते समय सभी प्रासंगिक कारकों द्वारा निर्देशित होता है।

20.5. 1 उत्तर प्रदेश सहकारी गन्ना संघ संघों (उपरोक्त) के मामले में, संविधान पीठ ने सटीक रूप से यह देखने के बाद कि 1953 का अधिनियम चीनी कारखानों द्वारा आवश्यक गन्ने की खरीद और गन्ने की खरीद को विनियमित करने के लिए अधिनियमित किया गया है और 'विनियमन' शब्द में मूल्य निर्धारित करने का अधिकार भी शामिल होगा, एस. ए. पी. को तय करने की राज्य सरकार की शक्ति और अधिकार को बरकरार रखा है। इसने यह भी घोषणा की है कि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित एस. ए. पी. केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक होना चाहिए। किसी मामले में, एसएपी मूल्य एक सहमत मूल्य हो सकता है।

20.6 इस स्तर पर, यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों (उपरोक्त) के मामले में, यह न्यायालय विशेष रूप से

चीनी कारखानों की ओर से इस निवेदन को अस्वीकार कर दिया कि उन्हें गन्ना उत्पादकों और गन्ना पश्चिम उत्तर प्रदेश चीनी मिल एसोसिएशन और ओआरएस के साथ समझौते करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

बी और सी रूपों में उत्पादकों की सहकारी समिति, जिसमें राज्य -

कीमत बताई गई है। इस न्यायालय ने चीनी कारखानों की ओर से इस दलील को भी खारिज कर दिया कि सहमति को स्वैच्छिक सहमति नहीं कहा जा सकता है और क्योंकि सहमति मजबूरी या दबाव में प्राप्त की गई थी और इसलिए चीनी कारखानों को ऐसी राज्य-अनुशंसित कीमत का भुगतान करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, भले ही इसका उल्लेख प्रपत्रों में या खरीद में किया गया हो और इसलिए इसे बिक्री नहीं कहा जा सकता है।

उपरोक्त निवेदन को अस्वीकार करते हुए और पूरी योजना पर विचार करने के बाद, इस न्यायालय ने पैराग्राफ 33 में निम्नलिखित रूप में टिप्पणी की और अभिनिर्धारित कियाः

" 33. जैसा कि पहले चर्चा की गई है, क्षेत्र का आरक्षण या आवंटन चीनी कारखाने के लाभ के लिए किया जाता है। समझौतों गन्ना उत्पादकों या गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति द्वारा कारखाने के अधिभोगियों के पक्ष में निष्पादित किया जाना भी चीनी कारखाने के लाभ के लिए होता है क्योंकि इस तरह के समझौतों से उसे जारी की गई मांग पर्ची में बताए गए दिनों में ताजा गन्ने की निरंतर आपूर्ति का आश्वासन मिलता है ताकि कच्चे माल की इष्टतम मात्रा प्राप्त करने में कोई समस्या न हो।

पेराई के पूरे मौसम में। समझौतों के अभाव में चीनी कारखाने को भी नुकसान होगा क्योंकि उसे अपनी आवश्यकता के अनुसार गन्ने की आपूर्ति प्राप्त करने में बड़ी समस्या का सामना करना पड़ सकता है। कारखाने के अधिभोगकर्ता स्वयं समझौतों के निष्पादन के लिए उत्सुक हैं लेकिन उनकी एकमात्र आपत्ति इसका उल्लेख करना है

राज्य की सलाह मूल्य। समझौता एक समग्र लेन-देन है और यह उनके लिए यह तर्क देने के लिए खुला नहीं है कि इसकी शर्तें जो उनके लाभ के लिए हैं, उन्हें लागू किया जाना चाहिए, लेकिन राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित मूल्य से संबंधित शब्द को लागू नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इस संबंध में उनकी सहमति स्वैच्छिक कार्य नहीं थी। हमारी राय में, चीनी कारखानों द्वारा प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए, वे पूरी तरह से उस समझौते से बाध्य हैं जिसमें राज्य ने सलाह दी थी

मूल्य का उल्लेख किया जा सकता है और गन्ने की कीमत से संबंधित खंड पर इस आधार पर हमला करना उनके लिए खुला नहीं है कि उनकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी या किसी प्रकार के दबाव में प्राप्त की गई थी।

इसमें आगे यह प्रस्ताव रखा गया है कि चीनी कारखानों से प्राप्त लाभों को ध्यान में रखते हुए, वे पूरी तरह से समझौते से बाध्य हैं, जिसमें राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का उल्लेख किया जा सकता है और यह है -

गन्ने की कीमत से संबंधित खंड पर इस आधार पर हमला करने के लिए उनके लिए खुला नहीं है कि उनकी सहमति स्वैच्छिक नहीं थी या किसी प्रकार के दबाव में प्राप्त की गई थी।

20.7 जैसा कि ऊपर देखा गया है, 1966 के आदेश में "मूल्य" शब्द को हटा दिया गया है और 1966 के आदेश का खंड 3 प्रदान करता है कि -

केंद्र सरकार गन्ने की "न्यूनतम कीमत" तय कर सकती है

चीनी के उत्पादक द्वारा भुगतान किया जाए। जैसा कि राज्य की ओर से विद्वान वकील द्वारा सही प्रस्तुत किया गया है, "मूल्य" और "न्यूनतम मूल्य" के बीच अंतर है। उपरोक्त 1966 के आदेश के प्रासंगिक खंडों से स्पष्ट होगा।

20.7. 1 राज्य द्वारा सुझाए गए मूल्य का प्रावधान उन गन्ना उत्पादकों के हितों की रक्षा के लिए किया गया है जो बातचीत करने की स्थिति में नहीं हैं। सुखनंदन सरन में दिनेश कुमार और अन्य। वी. भारत संघ और अन्य। , (1982) 2 एस. सी. सी. 150, इस न्यायालय ने राय दीः

" 22. गन्ना उत्पादकों के लाभ के लिए बाध्यकारी सामग्री के लिए छूट की मात्रा का वैधानिक प्रिस्क्रिप्शन निर्धारित किया गया है। चीनी और खंडसारी चीनी के उत्पादक एक शक्तिशाली समूह हैं।

ट्रेड लॉबी, जिसके बारे में कोई न्यायिक नोटिस ले सकता है। चीनी एक आवश्यक वस्तु होने के नाते कभी-कभी कम आपूर्ति में रखी जाती है और लगभग पूरी आबादी द्वारा खपत के लिए आवश्यक वस्तु होने के कारण, इस क्षेत्र में शक्तिशाली उद्योग के दिग्गज गन्ना उत्पादकों और गन्ना उत्पादकों दोनों पर हावी होने की स्थिति में हैं।

आवश्यक वस्तु के उपभोक्ता। स्वतंत्रता की शुरुआत से लगभग कई विनियम लागू किए गए हैं एक ओर उपभोक्ताओं के अंतिम लाभ के लिए पूरे देश में चीनी और खंडसारी चीनी के निर्माताओं के इस शक्तिशाली संयोजन को विनियमित करना और दूसरी ओर किसानों और गन्ने के उत्पादकों को उनकी छोटी जोतों के साथ और खराब होने वाली खाद्य फसल उगाना। सीमांत किसान संगठित उद्योग के खिलाफ खड़े होने में असमर्थ हैं। इस मुख्य रूप से कृषि समाज में इस लंबे तर्क की आवश्यकता नहीं है कि छोटी जोत वाले किसानों को अपनी अल्प कृषि उपज को उचित मूल्य पर बेचने के लिए सुरक्षा की आवश्यकता है। 1953 में, यू. पी. विधानमंडल ने कारखानों में गन्ने के तर्कसंगत वितरण के लिए, संगठित वैज्ञानिक आधार पर इसके विकास के लिए, गन्ना उत्पादकों और उद्योग आदि के हितों की रक्षा के लिए यू. पी. गन्ना (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953 लागू किया। इस अधिनियम की संवैधानिकता को अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत एक सहित विभिन्न आधारों पर चुनौती दी गई थी। च. में। टीका रामजी बनाम। उत्तर प्रदेश राज्य इस न्यायालय ने अनुच्छेद 19 (1) (जी) के तहत चुनौती को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि पश्चिम उत्तर प्रदेश शक्कर मिल संगठन और ओ. आर. एस. के संबंध में गन्ना उत्पादकों पर जो प्रतिबंध लगाया गया है।

वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

जिन क्षेत्रों में गन्ना उत्पादकों की सहकारी समिति की सदस्यता क्षेत्र के कुल गन्ना उत्पादकों के 75 प्रतिशत से कम नहीं है, वहां कारखानों के अधिभोगियों को उनके गन्ने की बिक्री करना जनहित में एक उचित प्रतिबंध है।

क्षेत्र में गन्ना उत्पादकों के बड़े बहुमत के हितों की रक्षा करना और सबसे बड़ी संख्या के लिए काम करना। यह प्रस्ताव अब विवाद के दायरे से परे है कि राज्य आम जनता के हित में किसी पक्ष के अनुबंध करने के अधिकार पर प्रतिबंध लगा सकता है, जहां सरकार की राय में अनुबंध करने वाले पक्ष समानता के आधार पर बातचीत करने में असमर्थ हैं। इस प्रस्ताव पर न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने वाले कानूनों की संवैधानिक वैधता स्थापित की गई है। इस सिद्धांत को प्रभावी रूप से शक्तिशाली चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादकों तक बढ़ाया जा सकता है क्योंकि गन्ना उत्पादकों को चीनी और खंडसारी चीनी के उत्पादकों के लिए तुलनात्मक रूप से नुकसान होता है, जिन्हें तर्कों के दौरान चीनी व्यापारी के रूप में वर्णित किया गया था। सकारात्मक निष्कर्ष पर पहुँचने के लिए विस्तृत चर्चा की आवश्यकता नहीं है कि

गन्ना उत्पादक जो किसान हैं, वे इस पर बातचीत नहीं कर सकते हैं

चीनी और खंडसरी चीनी के उत्पादकों के साथ समानता का आधार। कमजोर वर्गों की सुरक्षा के लिए राज्य की कार्रवाई न केवल उचित है बल्कि बिल्कुल आवश्यक है जब तक कि लगाया गया प्रतिबंध अत्यधिक न हो।

20.7. 2 खंड 3 (1) केंद्र सरकार को चीनी के उत्पादकों द्वारा भुगतान किए जाने वाले गन्ने का न्यूनतम मूल्य तय करने का अधिकार देता है या

उनके द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए उनके एजेंट। खंड 3 (2) प्रदान करता है

कि कोई भी व्यक्ति चीनी उत्पादक या उसके अभिकर्ता को गन्ना नहीं बेचेगा या बेचने के लिए सहमत नहीं होगा और ऐसा कोई भी उत्पादक या अभिकर्ता उपखंड के तहत निर्धारित मूल्य से कम कीमत पर गन्ना नहीं खरीदेगा या खरीदने के लिए सहमत नहीं होगा।

(1) . खंड 3 (3) के अनुसार, जहां चीनी का उत्पादक गन्ना उत्पादक से या गन्ना उत्पादक से कोई गन्ना खरीदता है। सहकारी समिति, निर्माता, जब तक कि पक्षों के बीच इसके विपरीत लिखित समझौता नहीं होता है, चौदह के भीतर भुगतान करेगा।

विक्रेता को गन्ने की डिलीवरी या उसे निविदा देने की तारीख से दिनों के बीच सहमत दर पर बेचे गए गन्ने की कीमत उत्पादक और गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति या जो यथास्थिति उपखंड (1) के तहत निर्धारित की गई हो। खंड (3-ए) में प्रावधान है कि चीनी का उत्पादक या उसका प्रतिनिधि अपने द्वारा खरीदे गए गन्ने के लिए गन्ना उत्पादक [2020] 9 एस. सी. आर. को भुगतान करेगा।

खंड 3 के तहत निर्धारित गन्ने का मूल्य, या उत्पादक या उसके एजेंट और गन्ना उत्पादक या गन्ना उत्पादक सहकारी समिति के बीच सहमत मूल्य, जैसा भी मामला हो, (सहमत कीमत)। समझौते के तहत भुगतान की जाने वाली सहमत कीमत भी राज्य सरकार द्वारा एस. ए. पी. निर्धारित और/या निर्धारित की जा सकती है। खंड (5-ए) में प्रावधान है कि जहां चीनी का कोई उत्पादक प्रत्येक चीनी वर्ष के दौरान किसी गन्ना उत्पादक से गन्ना खरीदता है, तो वह इसके लिए उत्तरदायी होगा -

(2) या उपखंड (3) का भुगतान चीनी उत्पादक द्वारा किया जाना आवश्यक है जो गन्ना उत्पादक को खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक मूल्य का भुगतान करता है, बशर्ते कि, "इस तरह से भुगतान की गई कीमत चीनी उत्पादक से कम न हो। खंड 3 के तहत निर्धारित न्यूनतम गन्ना मूल्य और उपखंड (2) या उपखंड (3) के तहत निर्धारित अतिरिक्त मूल्य सहित कुल मूल्य। "

21. जैसा कि इस न्यायालय ने यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों (उपरोक्त) के मामले में अभिनिर्धारित किया है, राज्य के पास धारा 16 के तहत निर्धारित राज्य सलाह मूल्य निर्धारित करने और निर्धारित करने की क्षमता है और इसलिए राज्य सरकार द्वारा एस. ए. पी. का निर्धारण विधायी क्षमता के दायरे से बाहर नहीं कहा जा सकता है। एक बार राज्य के निर्धारण की सलाह दी गई

मूल्य निर्धारित कर लिया गया है, गन्ना आयुक्त पक्षों को उसी का पालन करने का निर्देश दे सकता है जैसा कि यू. पी. सहकारी गन्ना उत्पादक संघ (उपरोक्त) में आयोजित किया गया था। यह नहीं कहा जा सकता है कि धारा 16 में प्रदान किए गए नियामक उपाय के तहत मूल्य निर्धारण मनमानेपन से ग्रस्त है, और न ही इसे गैर-मान्यता प्राप्त शक्ति कहा जा सकता है। इस प्रकार, हमारी यह सुविचारित राय है कि टीका रामजी (ऊपर) में निर्णय यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघों (ऊपर) में निर्णय के विपरीत नहीं है और बाद के मामले में निर्णय पर सात न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ द्वारा पुनर्विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

22. इस प्रकार, 1966 के आदेश की पूरी योजना पर विचार करते हुए, यह "न्यूनतम मूल्य" और "अतिरिक्त मूल्य" या "सुझाए गए मूल्य" का प्रावधान करता है। 1966 के आदेश के तहत उपरोक्त प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, "न्यूनतम मूल्य" से नीचे कोई भी गन्ना मूल्य (अनुशंसित मूल्य)। के अनुसार

"अनुशंसित मूल्य" में किया गया समझौता अनिवार्य रूप से "न्यूनतम मूल्य" से अधिक होना चाहिए।

इस प्रकार, पश्चिम यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और ओ. आर. एस. के बीच अंतर है। वी. उत्तर प्रदेश राज्य और ओ. आर. एस. [एम. आर. शाह, जे.]

" "मूल्य" और "न्यूनतम मूल्य"। 1966 के आदेश के खंड 3 के अनुसार, यह केंद्र सरकार को "न्यूनतम मूल्य" तय करने का अधिकार देता है और राज्य सरकार को सलाह मूल्य तय करने का अधिकार है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से हमेशा अधिक होता है। इसलिए, जैसा कि यू. पी. कॉप के मामले में इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया। गन्ना संघ संघों, केंद्र सरकार द्वारा "न्यूनतम मूल्य" तय करने और राज्य सरकार द्वारा "सुझाए गए मूल्य" को तय करने में शक्तियों के प्रयोग में कोई टकराव नहीं है जो केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से अधिक है। इसलिए, जैसा कि यू. पी. कॉप के मामले में इस न्यायालय द्वारा उचित रूप से देखा गया। केन यूनियन संघों में कोई विसंगति या प्रतिकूलता नहीं है राज्य सरकार द्वारा "अनुशंसित मूल्य" या "लाभकारी मूल्य" और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" तय करना। जैसा कि उचित माना जाता है, यदि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित मूल्य से अधिक है, तो किसी भी विसंगति या प्रतिकूलता का कोई अवसर नहीं होगा क्योंकि दोनों आदेशों के लिए एक साथ काम करना और दोनों का पालन करना संभव है।

23. इस प्रकार, यह अभिनिर्धारित किया जाता है कि यू. पी. कूप के मामले में बाद के निर्णय में इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण। केन

यूनियन फेडरेशन (ऊपर) सही कानून है। टीका रामजी के मामले में और यू. पी. कूप के मामले में इस अदालत के दो फैसलों के बीच कोई टकराव नहीं है। केन यूनियन फेडरेशन और इसलिए, मामले को सात न्यायाधीशों वाली बड़ी पीठ को भेजने की कोई आवश्यकता नहीं है। इसलिए, हमारे अंतिम निष्कर्ष इस प्रकार हैं:

सातवीं अनुसूची की प्रविष्टियाँ 33 और 34 सूची III के आधार पर,

ए।

केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों

सरकार के पास गन्ने की कीमत तय करने का अधिकार है। केंद्र सरकार ने शक्ति का प्रयोग किया है और

"न्यूनतम मूल्य" तय करने पर राज्य सरकार गन्ने का "न्यूनतम मूल्य" तय नहीं कर सकती। हालांकि, इसके साथ ही राज्य सरकार के लिए गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 के प्रासंगिक प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए "सलाह मूल्य" तय करना हमेशा खुला रहता है जो "न्यूनतम मूल्य" से हमेशा अधिक होता है, जो अभ्यास में जारी किया गया है।

यू. पी. गन्ना की धारा 16 के तहत शक्तियों का अधिकार (आपूर्ति और खरीद विनियमन) अधिनियम, 1953;

गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966 जो जारी किया गया है।

बी।

उत्तर प्रदेश गन्ना (आपूर्ति विनियमन [2020] 9 एस. सी. आर. की धारा 16 के तहत।

और खरीद) अधिनियम, 1953 राज्य को शक्ति प्रदान करता है। सरकार पारिश्रमिक/सलाह मूल्य तय करेगी जिस पर गन्ना खरीदा या बेचा जा सकता है जो हमेशा

केंद्र द्वारा निर्धारित न्यूनतम मूल्य से अधिक सरकार;

यू. पी. गन्ना (आपूर्ति का विनियमन) की धारा 16 और खरीद) अधिनियम, 1953 धारा 3 (2) (सी) के प्रतिकूल नहीं है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 और के खंड 3 गन्ना (नियंत्रण) आदेश, 1966, जैसा कि देखा गया है

केंद्र सरकार और इसलिए, कोई संघर्ष नहीं है। यह केवल ऐसे मामले में है जब राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "अनुशंसित मूल्य" निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" से कम हो। केंद्र सरकार द्वारा, केंद्र के प्रावधान

अधिनियम प्रबल होंगे और "न्यूनतम मूल्य" द्वारा निर्धारित किया जाएगा

केंद्र सरकार प्रबल होगी। जब तक कि

" राज्य सरकार द्वारा निर्धारित "अनुशंसित मूल्य" अधिक है।

केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित "न्यूनतम मूल्य" की तुलना में इसे संविधान के अनुच्छेद 254 के तहत अमान्य नहीं कहा जा सकता है।

भारत का संविधान।

इस न्यायालय की संविधान पीठ द्वारा लिया गया दृष्टिकोण

यू. पी. सहकारी गन्ना संघ संघ बनाम संघ का मामला।

वेस्ट यू. पी. शुगर मिल्स एसोसिएशन और अन्य सही हैं।

कानून।

संदर्भ का जवाब उसी के अनुसार दिया जाता है। अब रजिस्ट्री

इस तरह के मामलों को तुरंत लेने वाले न्यायालय के समक्ष मामले,

संदर्भ ने जवाब दिया।